फा.सं.2.2(6)/2019-सा.II
संघ लोक सेवा आयोग
सामान्य-II अनुभाग

विषय : संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली कम्प्यूटर आधारित भर्ती परीक्षण / परीक्षा (सी बी आर टी) आयोजित करने के लिए खुली निविदा।

संघ लोक सेवा आयोग अगले तीन वर्ष के दौरान कार्य क्षेत्र के अनुबंध-Iक में यथा वर्णित भारत के 41 केन्द्रों/शहरों में से ऐसे केन्द्रों/शहरों जिनमें 50,000 उम्मीदवारों (इस आंकडे में वर्ष दर वर्ष बढ़ोतरी हो सकती है) के लिए एक साथ एक दिन में बड़ी संख्या में कम्प्यूटर आधारित भर्ती परीक्षणों/परीक्षाओं का आयोजन करना चाहता है। यह नोट कर लें कि उम्मीदवारों की संख्या तथा शहरों/केन्द्रों की संख्या में समय-समय पर अंतर हो सकता है जो आयोग की आवश्यकताओं एवं विशेष सी.बी.आर.टी./परीक्षा के आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की संख्या पर निर्भर करता है। तदनुसार, इस दस्तावेज़ के अनुबंध-I में पूर्ण रूप से यथा निर्दिष्ट कार्य क्षेत्र के अनुसार सी.बी.आर.टी./परीक्षा के आयोजन के लिए ऐसी भारतीय फर्मों से ऑन-लाइन निविदा आमंत्रित करता है जिनका प्रमाणिक रिकॉर्ड हो और वे संबंधित कार्य में अनुभव रखते हों। मैन्युअल बोलियां स्वीकार नहीं की जाएंगी।

सामान्य निबंधन एवं शर्तें

क्रिटिकल डेट शीट

सीपीपी पोर्टल पर प्रकाशित किए जाने की तारीख	03.12.2021
दस्तावेज के डाउनलोड शुरू करने की तारीख	03.12.2021
दस्तावेज को डाउनलोड करने की अंतिम तारीख	24.12.2021
बोली के प्रस्तुतीकरण के शुरू होने की तारीख	03.12.2021
ऑन-लाइन निविदा को अपलोड करने की अंतिम तारीख और समय	24.12.2021; 15:00 बजे
तकनीकी बोली को खोलने की तारीख एवं समय	27.12.2021; 15:00 बजे
जमा धरोहर राशि (ईएमडी)	☐80,00,000/-

बोलियां केवल ऑन-लाइन सीपीपीपी वेब साइट https://eprocure.gov.in/eprocure/app पर प्रस्तुत की जाएगी।
बोलीदाता को सलाह दी जाती है कि केन्द्रीय लोक प्रापण पोर्टल के माध्यम से https://eprocure.gov.in/eprocure/app पर ई-प्रापण के लिए ऑन-लाइन बोलियों के ई-प्रस्तुतीकरण संबंधी अनुदेश में दी गई अनुदेशों का अनुपालन करें।

बोली दस्तावेज को श्वेत एवं श्याम विकल्प सहित **100 डीपीआई** के साथ स्कैन किया जा सकता है जो स्कैन किए गए दस्तावेज़ों के आकार को कम करने में मदद करता है।

1. **बोली के प्रस्तुतीकरण की प्रक्रिया:-**

निविदा, दो भागों में अर्थात् तकनीकी बोली और बोली मूल्य में ऑन-लाइन प्रस्तुत की जाएगी। प्रस्तुत की जाने वाली बोली के सभी पृष्ठों, दस्तावेजों के विषय-वस्तु की प्रकृति से असंबद्ध रहते हुए दस्तावेज़ों को अपलोड

किए जाने से पहले बोलीदाता द्वारा हस्ताक्षर तथा क्रमिक रूप से संख्या दी जानी चाहिए। टेलीग्राम/फैक्स/ई-मेल तथा अन्य तरीकों द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जाएगा। इस मुद्दे पर कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा।

(क) <u>तकनीकी बोली:-</u>

निविदा दस्तावेज के अनुसार बोलीदाता द्वारा तकनीकी बोली के साथ निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने हैं :-

(i) 80,00,000/- रू. की जमा धरोहर राशि की हस्ताक्षरित तथा स्कैन की गई प्रति।

(ii) पैन कार्ड/माल एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) पंजीकरण प्रमाणपत्र की हस्ताक्षरित तथा स्कैन की गई प्रति।

(iii) पूर्ववर्ती तीन वर्षों अर्थात वर्ष 2018-19, 2019-20 तथा 2020-21 (खंड 6 द्वारा यथा अपेक्षित) की आयकर विवरणी की हस्ताक्षरित तथा स्कैन की गई प्रति।

(iv) पूर्ववर्ती तीन वर्षों अर्थात वर्ष 2018-19, 2019-20 तथा 2020-21 (खंड 6 द्वारा यथाअपेक्षित) की लेखापरीक्षा की गई लाभ एवं हानि खाता की हस्ताक्षरित तथा स्कैन की गई प्रति।

(v) पूर्ववर्ती तीन वर्षों अर्थात वर्ष 2018-19, 2019-20 तथा 2020-21 (खंड 6 द्वारा यथाअपेक्षित) की लेखापरीक्षा की गई बैलेंस शीट की हस्ताक्षरित तथा स्कैन की गई प्रति।

(vi) चार्टर्ड एकाउंटेंट (सी.ए.) से प्राप्त प्रमाणपत्र जिसमें यह उल्लेख किया गया हो कि " विगत तीन वित्तीय वर्षों में से प्रत्येक वर्ष का वार्षिक कारोबार केवल ऑन-लाइन/कम्प्यूटर आधारित/ऑन-लाइन भर्ती परीक्षा से संबंधित है और अन्य स्रोतों से प्राप्त आय इसमें शामिल नहीं है" (खंड 6 द्वारा यथा अपेक्षित) की स्कैन की गई प्रति।

(vii) कंपनी का निगमन प्रमाणपत्र (खंड 7 द्वारा यथा अपेक्षित) की हस्ताक्षरित स्कैन की गई प्रति।

(viii) विगत पांच वर्षों के दौरान बोलीदाता द्वारा आयोजित सी.बी.आर.टी./परीक्षा का क्रय आदेश और/संपूर्णता प्रमाणपत्र की हस्ताक्षारित स्कैन की गई प्रति (खंड 8 द्वारा यथा अपेक्षित)।

(ix) दस्तावेजी साक्ष्य की हस्ताक्षरित स्कैन की गई प्रति (खंड 9 द्वारा यथा अपेक्षित)।

(x) आई.एस.ओ. 9001 तथा आई.एस.ओ. 27001 (सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली मानक)/एस.टी.क्यू.सी. प्रमाणपत्र की हस्ताक्षरित स्कैन की गई प्रतियां (खंड 11 द्वारा यथा अपेक्षित)।

(xi) कार्य क्षेत्र (अनुबंध-I) के सन्दर्भ में अनुपालन रिपोर्ट (अनुबंध–II में दिए गए) की हस्ताक्षरित स्कैन की गई प्रति।

(xii) केन्द्रों की सूची, जिसमें फर्म ने एक पाली में सी.आर.बी.टी. का आयोजन किया हो (अनुबंध–II क में दिए गए अनुसार), की सक्षम प्रधिकारी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित एवं स्कैन की गई प्रति।

(xiii) प्रमाणपत्र (अनुबंध-III में दिए गए अनुसार) जो प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा विधिवत रूप से हस्ताक्षरित हो, की स्कैन की गई प्रति।

(xiv) प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा विधिवत रूप से हस्ताक्षरित शपथ पत्र (अनुबंध-IIIक में दिए गए अनुसार) की स्कैन की गई प्रति।

(xv) इस दस्तावेज़ के खंड 14 एवं 41 में यथा वर्णित प्रमाण पत्रों/दस्तावेज़ों की हस्ताक्षरित स्कैन की गई प्रतियां।

(xvi) सहमति पत्र के मसौदे (अनुबंध-V के अनुसार) की प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्त्ता द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित स्कैन की गई प्रतियां।

(xvii) जांच सूची (अनुबंध-VI) के अनुसार सभी सहायक दस्तावेज़ों की हस्ताक्षरित स्कैन की गई प्रति।

(ख) **<u>बोली मूल्य :-</u>**

मूल्य बोली की अनुसूची निर्धारित प्रारूप में ही प्रस्तुत की जानी चाहिए। बोलीदाता अनिवार्यत: मूल्य अनुसूची (अनुलग्नक-IV) के लिए निर्धारित प्रोफार्मा में ही दर को प्रस्तुत करेगा। दरों को करों को छोड़कर उद्धृत किया जाना चाहिए। कर को दरों के साथ अलग से उद्धृत किया जाएगा।

(ग) 80,00,000/- (अस्सी लाख रूपए मात्र) की धरोहर जमा राशि (ई.एम.डी.) जो डिमांड ड्राफ्ट/पे-आर्डर/एफ.डी.आर./बैंकर्स चेक/ बैंक गारंटी के रूप में सचिव, संघ लोक सेवा आयोग के पक्ष में देय हो, **क्रिटिकल डेटशीट** में यथा वर्णित प्रस्तुतीकरण की **अंतिम तारीख तथा समय पर या इससे पहले संघ लोक सेवा आयोग** में सुपुर्द करनी होगी, की मूल लिखत हार्ड कॉपी।

2. **<u>देर से प्राप्त होने वाली बोलियां</u>**

देर से प्राप्त होने वाली बोलियां अर्थात् बोली प्राप्त करने के लिए निर्धारित तारीख तथा समय के बाद प्राप्त बोलियों पर विचार नहीं किया जाएगा।

3. बोली, बोली के खुलने की तारीख से 180 दिनों के लिए वैध रहेगी।

4. **<u>धरोहर जमा राशि:-</u>**

(i) **रु. 80,00,000/- (अस्सी लाख रूपए मात्र)** की धरोहर जमा राशि का डिमांड ड्राफ्ट/पे-आर्डर/एफ.डी.आर./बैंकर्स चेक/बैंक गारन्टी के रूप में सचिव, संघ लोक सेवा आयोग के पक्ष में दिल्ली/नई दिल्ली में देय हो, जमा करनी होगी। जी.एफ.आर. 2017 के नियम 170 में यथा प्रदत्त के अलावा धरोहर राशि जमा करने से कोई छूट नहीं दी जाएगी। धरोहर राशि के बिना और उपर्युक्त निर्धारित रूप के अलावा अन्य रूप में जमा की गई धरोहर जमा राशि वाली बोलियों को सरसरी तौर पर अस्वीकार कर दिया जाएगा।

(ii) अंतिम बोली वैधता अवधि से परे धरोहर जमा राशि पैंतालीस दिन की अवधि के लिए वैध रहेगी।

(iii) निविदा को अंतिम रूप दिए जाने के बाद असफल बोलीदाताओं को जमा धरोहर राशि लौटा दी जाएगी। किसी भी परिस्थिति में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा जमा धरोहर राशी पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।

5. **<u>कार्य निष्पादन सुरक्षा राशि</u>** :-

(i) सफल बोलीदाता को प्रत्येक प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष के लिए वार्षिक संविदा मूल्य का 10% की दर से कार्य निष्पादन सुरक्षा राशि प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा। प्रत्येक वर्ष के लिए

कार्य निष्पादन सुरक्षा राशि प्रत्येक तीन वर्षों के शुरू होने पर प्रस्तुत करना होगा। प्रथम तथा द्वितीय वर्ष के लिए कार्य निष्पादन सुरक्षा राशि की वैधता 15 माह की अवधि के लिए होगी। तृतीय वर्ष के लिए कार्य निष्पादन सुरक्षा राशि वारंटी बाध्यताएं, यदि कोई हो, सहित सभी संविदात्मक बाध्यताओं के पूर्ण होने के नब्बे दिनों तक वैध रहेगी। कार्य निष्पादन सुरक्षा राशि डिमांड ड्राफ्ट/पे-आर्डर/बैंक गारंटी के रूप में सचिव, संघ लोक सेवा आयोग के पक्ष में दिल्ली में देय होगी। प्रत्येक तीन वर्षों के लिए कार्य के संतोषजनक रूप से पूरा होने तक आयोग द्वारा कार्य निष्पादन सुरक्षा राशि को रखा जाएगा।

(ii) यह स्पष्ट रूप से ज्ञात होना चाहिए कि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित समय सीमा तथा कार्य क्षेत्र के अनुसार कार्य के पूर्ण न होने की स्थिति में कार्य निष्पादन सुरक्षा राशि जब्त की जा सकती है। यह, निर्धारित क्षति/ शास्ति यदि कोई हो, जैसा कि निबंधन एवं शर्तों में विनिर्दिष्ट रूप में लगाई जा सकती है के अतिरिक्त होगा। कार्य निष्पादन सुरक्षा राशि की प्राप्ति पर सफल बोलीदाता को धरोहर जमा राशि वापस कर दी जाएगी। किसी भी परिस्थिति में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा कार्य निष्पादन सुरक्षा राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।

<u>पात्रता मानदंड</u>

6. बोलीदाता/मूल कंपनी को विगत तीन वर्षों अर्थात् 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 में से किसी भी दो वर्षों में घाटा न हो। बोलीदाता टर्नओवर के संबंध में निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करेगा :-

(i) बोलीदाता का तीन वित्तीय वर्षों अर्थात् 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 में से प्रत्येक वर्ष के दौरान वार्षिक कारोबार कम से कम 10 करोड़ रूपए का हो।

(ii) कारोबार पूर्णत: ऑन-लाइन/कम्प्यूटर आधारित/ऑन-लाइन भर्ती परीक्षा से संबंधित सेवाओं में होना चाहिए।

(iii) कारोबार के समर्थन में बोलीदाता निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करेंगे :

(क) पूर्ववर्ती तीन वर्षों अर्थात् 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 का आयकर विवरणी।

(ख) पूर्ववर्ती तीन वर्षों अर्थात् 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 का लेखापरीक्षा की गई लाभ एवं हानि खाता।

(ग) पूर्ववर्ती तीन वर्षों 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 की लेखा परीक्षित बैंलेस शीट की प्रतियां प्रस्तुत करनी होगी। यदि बोलीदाता वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षित बैंलेस शीट प्रस्तुत नहीं कर सकता है तो वर्ष 2020-21 का बैंलेस शीट उनके चार्टरित लेखाकार (सी.ए.) से विधिवत प्रमाणित करते हुए बैलेंस शीट की प्रति प्रस्तुत करनी होगी।

(घ) चार्टर्ड लेखाकार (सी.ए.) से प्राप्त इस आशय का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा कि " विगत तीन वित्तीय वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के लिए फर्म का वार्षिक कारोबार केवल ऑन-लाइन/कम्प्यूटर-आधारित/ऑन-लाइन भर्ती परीक्षण से संबंधित है और अन्य स्रोतों से प्राप्त आय इसमें शामिल नहीं है।"

7. एजेंसी को भारतीय कानून के अंतर्गत पंजीकृत कंपनी होना चाहिए जो विगत 3 वर्षों से सरकारी विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्तशासी निकायों/लोक सेवा आयोगों के लिए कम्प्यूटर

आधारित परीक्षाओं के क्षेत्र में कार्यरत हो तथा भर्ती सेवाएं मुहैया करा रही हो। तकनीकी बोली के साथ निगमन प्रमाणपत्र संलग्न किया जाना है।

8. 2,000 से 25,000 (लगभग) उम्मीदवारों के लिए अधिकांश कंप्यूटर आधारित भर्ती परीक्षण/परीक्षा (सीबीआरटी) वर्तमान में 15 केंद्रों अर्थात् अहमदाबाद, भोपाल, चेन्नै, दिल्ली, दिसपुर, जयपुर, जम्मू, कोच्ची (एरनाकुलम), कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, पोर्ट ब्लेयर, राँची एवं विशाखापट्नम में की जा रही है। इसके अलावा, अनुलग्नक-I क में निर्दिष्ट 41 केंद्रों में कुछ सीबीआरटी अधिक उम्मीदवारों के लिए भी किए जा रहे हैं। तद्नुसार, एजेंसी के पास एक ही स्लॉट में न्यूनतम 30,000 उम्मीदवारों के लिए पिछले 05 (पांच) वर्षों में कम से कम 01 (एक) सीबीआरटी सफलतापूर्वक आयोजित करने का अनुभव होना चाहिए। इस तरह के सीबीआरटी को सरकारी विभागों/पीएसयू/स्वायत्त निकायों/लोक सेवा आयोगों के लिए अनुलग्नक-Iक में उल्लिखित 41 केंद्रों में से किसी भी 30 केंद्रों में एक ही स्लॉट में आयोजित किए गए हों। **अनुबंध-Iक में उल्लिखित 41 केंद्रों में से किसी भी 30 केंद्रों में एक ही स्लॉट में न्यूनतम 30,000 उम्मीदवारों के लिए सीबीआरटी आयोजित करने के प्रमाण के रूप में सक्षम प्राधिकारी से खरीद आदेश और/या पूर्णता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा।** उपर्युक्त के अलावा, वेंडर के पास अनुलग्नक-Iक में सूचीबद्ध 41 केंद्रों में एक ही स्लॉट में न्यूनतम 50,000 उम्मीदवारों के लिए सीबीआरटी आयोजित करने की क्षमता और इच्छुक होनी चाहिए। इस संबंध में, वेंडर प्रोफार्मा (अनुलग्नक-IIIक) के अनुसार एक वचनबद्धता प्रस्तुत करेगा कि उनके पास अनुबंध-Iक में उल्लिखित 41 केंद्रों में एक ही स्लॉट में न्यूनतम 50,000 उम्मीदवारों के लिए सीबीआरटी आयोजित करने की क्षमता है और वह आयोजित करेगा।

9. एजेंसी के पास सुरक्षित माहौल में आयोग की अपेक्षाओं के अनुसार डेटाबेस प्रबंधन के लिए अपना/किराए का टीयर-3 या उससे ऊपर का डेटा केन्द्र होना चाहिए। निम्नलिखित अपेक्षाओं को पूरा करते हुए तकनीकी बोली में दस्तावेजी साक्ष्य संलग्न किया जाए :-

   (क) सूचना प्रौद्योगिकी उपकरणों को सर्व करने वाली मल्टीपल रीडन्डेन्ट कैपेसिटी कम्पोनेन्ट होनी चाहिए।

   (ख) 99.98% की अपेक्षित उपलब्धता सहित एक साथ अनुरक्षण की जाने वाली साइट की आधारभूत संरचना।

10. एजेंसी के पास अनुबंध-Iक में यथा सूचीबद्ध किसी भी 30 शहरों में फैले कम से कम 30,000 उम्मीदवारों के लिए एक बार में ही प्रत्येक परीक्षण केन्द्र पर बैकअप सर्वर के साथ स्थानीय सर्वर वाले एजेंसी को नियुक्त करने के द्वारा इंट्रानेट आधारित मॉडल का प्रयोग करते हुए भर्ती परीक्षा आयोजित करने में प्रामाणिक विशेषज्ञता होनी चाहिए। खंड-8 में यथावर्णित प्रमाणपत्र उक्त के साक्ष्य के रूप में पर्याप्त होगा।

11. कंपनी के पास आई.एस.ओ. 9001 एवं 27001 (सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली मानक) / एस.टी.क्यू.सी. प्रमाणपत्र होना चाहिए। तकनीकी बोली के साथ दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करें।

<u>अन्य निबंधन एवं शर्तें:-</u>

12. एजेंसी के पास प्रश्न पत्र तैयार करने, कम्प्यूटर आधारित परीक्षा, उम्मीदवारों का बायोमैट्रिक संचालन आदि से संबंधित सभी सॉफ्टवेयर अवश्य होने चाहिए या एजेंसी के पास तीसरा पक्ष सुरक्षा अनुपालन सहित लाईसेंस कॉपी, जो कम से कम विगत तीन वर्षों से प्रयोग में है, होनी चाहिए। एजेंसी को कार्य क्षेत्र (अनुबंध-I) के संदर्भ में संघ लोक सेवा आयोग की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए सभी साफ्टवेयर के किसी भी मॉडयूल में परिवर्तन करने में सक्षम होना चाहिए।

13. आयोग द्वारा अंतिम रूप से प्रदान की गई तारीख के अनुसार एजेंसी भर्ती परीक्षण (आरटी)/परीक्षा आयोजित करेगा। एजेंसी को यह सुनिश्चित करना होगा कि परीक्षा/भ.प. के आयोजन के लिए किराए पर लिए गए स्थल दो दिनों के लिए अर्थात व्यवस्था वाले दिन तथा परीक्षा के आयोजन वाले दिन के लिए होनी चाहिए। तथापि, व्यवस्था वाले दिन एजेंसी को 8.00 बजे प्रात: से 6.00 बजे तक आयोग की अपेक्षाओं के अनुसार मॉक टेस्ट आयोजित करने के लिए तीन घंटे की स्लॉट की व्यवस्था करनी होगी। आयोग द्वारा भर्ती परीक्षण/परीक्षा के आयोजन का निर्णय लिए जाने के बाद एजेंसी को परीक्षा/ भ.प. आयोजित करने के लिए आगे दो माह का समय दिया जाएगा।

14. बोलीदाता को तकनीकी बोली के साथ निम्नलिखित प्रमाणपत्र/दस्तावेज प्रस्तुत करने चाहिए :-

(i) सरकारी विभागों/पी एस यू/स्वायत्त निकायों/लोक सेवा आयोगों की सूची जहां फर्म ने इस प्रकार का कार्य किया है या कर रही है। ऐसे सरकारी विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्तशासी निकायों/लोक सेवा आयोगों के कार्य आदेश की प्रतियाँ दी जाएं।

(ii) सीबीआरटी के लिए बोलीदाता द्वारा यथा परिकल्पित प्रत्येक संभावित स्थल पर बुनियादी ढांचे के विवरण के साथ कार्य क्षेत्र (अनुबंध-I) के संदर्भ में बोलीदाता द्वारा समझे गए अनुसार प्रदेय वस्तुओं का विवरण।

(iii) (क) निविदा के सभी निबंधन एवं शर्तों की स्वीकृति (ख) आय एवं धन को छिपाने के लिए उन पर कोई शास्ति अधिरोपित नहीं की गई है (ग) अनुबंध-III के अनुसार कार्यक्षेत्र सहित बोली की समझ एवं सख्त अनुपालन के संबंध में प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता से प्राप्त प्रमाणपत्र।

(iv) पैन कार्ड तथा माल एवं सेवाकर पंजीकरण प्रमाणपत्र की प्रति।

(v) इस निविदा आमंत्रण सूचना के पैरा 6,7,8,9,10,11 तथा 41 में यथा वर्णित प्रमाणपत्र।

15. एजेंसी के पास टेस्ट इंजन के सॉफ्टवेयर के सोर्स कोड पर पूर्ण अधिकार होना चाहिए। उन्हें आयोग की अपेक्षानुसार साफ्टवेयर में परिवर्तन करने में सक्षम होने चाहिए। साफ्टवेयर के वर्जन में यदि कोई परिवर्तन हो तो उक्त के संबंध में एजेंसी द्वारा आयोग को सूचित किया जाएगा या आयोग द्वारा यदि कोई परिवर्तन अपेक्षित है तो आयोग द्वारा अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात ही उक्त को अपग्रेड/लागू

किया जाना चाहिए। आयोग का अनुमोदन प्राप्त होने के पश्चात ही अगले आरटी/परीक्षा से अपग्रेड किया गया वर्जन प्रयोग में लाया जाएगा।

16. परीक्षा के दौरान माऊस को क्लिक करते ही उम्मीदवारों को 'उम्मीदवारों को अनुदेश' उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

17. एजेंसी, इस प्रयोजन के लिए निर्धारित आवंटित समय के भीतर परीक्षण/परीक्षा के स्थल पर रिपोर्ट करने वाले उम्मीदवारों के बायोमैट्रिक फिंगरप्रिंट तथा फोटोग्रॉफ को सफलतापूर्वक कैप्चर करने के प्रति उत्तरदायी होगी। कैप्चर की गई बायोमैट्रिक जानकारी को आयोग के साथ साझा करना होगा तथा आयोग कार्यालय में साक्षात्कार के समय एजेंसी द्वारा इसे सत्यपित भी किया जाएगा।

18. परीक्षा अवधि के दौरान फोटो एवं हस्ताक्षर इमेज को टर्मिनल पर प्रत्येक उम्मीदवार के स्क्रीन पर प्रदर्शित की जाएगी।

19. संघ लोक सेवा आयोग की अपेक्षाओं के अनुसार एजेंसी द्वारा स्क्रीन पर द्विभाषी प्रश्न पत्र उपलब्ध होनी चाहिए।

20. एजेंसी अपने डेटा केन्द्र में सुरक्षित तथा एनकृप्टेड तरीकों से पूर्ण प्रत्युत्तर डेटा तथा उपस्थिति सूची के मिलान के प्रति उत्तरदायी होगी जिसे आयोग कार्यालय की अपेक्षाओं /फार्मेट के अनुसार परीक्षा/परीक्षण की समाप्ति के तत्काल बाद आयोग के साथ साझा किया जाएगा।

21. एजेंसी द्वारा परीक्षा के दौरान होने वाले कदाचार/धोखाधड़ी को रोकने के लिए प्रस्तावित सिस्टम (उद्धृत दरों के अंदर) में संबंधित व्यवस्था/विशेषताएं होनी चाहिए। इसका तकनीकी बोली में विस्तार से उल्लेख किया जाए।

22. प्रत्येक परीक्षा की समाप्ति के बाद ई-मेल के माध्यम से प्रत्येक परीक्षा की संक्षिप्त रिपोर्ट, जब भी आवश्यक हो, संघ लोक सेवा आयोग की सलाह के अनुसार निर्धारित प्रपत्र में उम्मीदवारों को उपलब्ध करानी होगी।

23. बोलीदाता को यह उल्लेख करते हुए एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा कि निविदा की सभी निबंधन एवं शर्तें उन्हें स्वीकार्य है (अनुबंध-III)। बोलीदाता को कार्य क्षेत्र (अनुबंध-II) के संबंध में खंड दर खंड अनुपालन रिपोर्ट भी प्रस्तुत करना होगा। किसी प्रकार के विचलन की स्थिति में, विचलन का विवरण तथा तकनीकी विनिर्दिष्टताओं तथा वाणिज्यिक शर्तों के प्रावधानों के अपवाद को भी बोलीदाता द्वारा प्रदान किया जाएगा। तथापि, संघ लोक सेवा आयोग बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है और इस अंतर के साथ बोली पर विचार करने हेतु अपने अस्वीकरण के संबंध में कोई कारण देने के लिए बाध्य नहीं है।

24. काल्पनिक और सशर्त बोलियों पर विचार नहीं किया जाएगा।

25. सही कार्य करने की स्थिति में, उपकरण की व्यवस्था के लिए फर्म जिम्मेदार होगी और फर्म को परस्पर सहमति के आधार पर परीक्षण/परीक्षा के दिन के लिए पर्याप्त संख्या में प्रशिक्षित कार्मिकों को तैनात करना होगा।

26. बोलीयों से उत्पन्न सभी विधिक विवाद यदि कोई हो, केवल दिल्ली के न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अध्यधीन होंगे।

27. दरें " प्रति उम्मीदवार जिन्हें प्रवेशपत्र जारी किया जाएगा" के आधार पर उद्धृत की जाएंगी और अनुबंध-IV के अनुसार निविदा आमंत्रण सूचना में निर्दिष्ट दिल्ली केन्द्र तथा अन्य केन्द्रों पर सिस्टम की ढुलाई एवं अधिष्ठापन से संबंधित सभी प्रभार शामिल होंगे।

28. यदि परीक्षण/परीक्षा एक से ज्यादा सत्र में आयोजित की जाती है तो भुगतान उम्मीदवारों को जारी प्रवेश पत्र, गुणा सत्र की संख्या के आधार पर किया जाएगा।

29. (i) कैलेन्डर वर्ष 2020 में कम्प्यूटर आधारित तरीकों से आयोग द्वारा आयोजित की गई प्रत्येक भर्ती परीक्षण/परीक्षाओं के संबंध में जारी प्रवेश पत्रों की वास्तविक संख्या 1,89,670 है।

(ii) परीक्षा की हाईब्रिड प्रणाली को ध्यान में रखते हुए अगले तीन वर्षों के लिए उम्मीदवारों की वर्ष-वार अनुमानित संख्या निम्नानुसार है:-

क्रम सं.	समयावधि	उम्मीवारों की अनुमानित संख्या*
1.	प्रथम वर्ष	2,00,000
2.	द्वितीय वर्ष	2,10,000
3.	तृतीय वर्ष	2,20,000

*उपर्युक्त आंकडें पूर्णत: सूचनात्मक है तथा संघ लोक सेवा आयोग की तरफ से इसे इसकी प्रतिबद्धता के रूप में नहीं माना जाएगा।

30. प्रत्येक भर्ती परीक्षण/परीक्षा में उम्मीदवारों/परीक्षा केन्द्रों की संख्या केवल सूचनात्मक है तथा इस निविदा आमंत्रण सूचना के पहले पैरा में यथा वर्णित आयोग के निर्णय तथा अपेक्षाओं के आधार पर अंतर हो सकता है।

31. कर प्रति उम्मीदवार प्रति प्रश्न पत्र, जिन्हें प्रवेशपत्र जारी किया जाएगा, के आधार पर अलग से उद्धृत की जाएगी। अन्यथा, उद्धृत दरों में करों को शामिल माना जाएगा और करों में बढ़ोतरी के लिए अनुवर्ती अनुरोध पर इस कार्यालय द्वारा कोई विचार नहीं किया जाएगा। वे बोलीदाता जो कर की दर को अलग से उद्धृत नहीं करते है उन्हें उत्तरदायी नहीं माना जाएगा और उनकी बोली को अस्वीकार कर दिया जाएगा।

32. आयकर : यथालागू निविदा बिलों से स्रोत पर वसूलनीय।

33. किसी भी बोली को बोली के प्रस्तुत किए जाने की अंतिम तारीख तथा बोली वैधता अवधि की समाप्ति जैसा कि बोलीदाता द्वारा निर्दिष्ट किया गया है या उसमें निर्धारित की गई है, के बीच के अंतराल में वापस नहीं ली जा सकती है। अंतराल के दौरान बोली को वापस लेने का परिणाम ऐसे बोलीदाताओं की धरोहर जमा राशि की जब्ती हो सकती है।

34. यदि फर्म या फर्म के संबंधित प्रभाग को किसी अन्य फर्म द्वारा अपने अधिकार में ले लिया जाता है तो करार के अंतर्गत सभी दायित्वों तथा कार्यान्वित की जाने वाली जिम्मेदारियों को नए फर्म को दे दिया जाएगा।

35. बोलीदाता कार्य क्षेत्र सहित निविदा आमंत्रण सूचना के सभी निबंधन एवं शर्तों के अनुसार पूर्ण रूप से कार्य को निष्पादित करेंगे। निदेशक (सू.प्र.) या संघ लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्त कोई अन्य अधिकारी तथा समन्वय अधिकारी, बोलीदाता द्वारा आवश्यक सहायता, यदि कोई हो, के लिए संघ लोक सेवा आयोग की ओर से नोडल अधिकारी होंगे,

36. वेंडर, आयोग द्वारा निर्णित उम्मीदवारों की न्यूनतम संख्या के अनुसार सभी केन्द्रों पर सी.बी.आर.टी./परीक्षा की व्यवस्था करेंगे।

37. सी.बी.आर.टी. के आयोजन संबंधी कार्य क्षेत्र अनुबंध-I में दी गई है। बोली अनुबंध-I में उल्लिखित कार्य क्षेत्र के अनुरूप होनी चाहिए। सभी बोलीदाताओं को अनुपालन विवरण (अनुबंध-II) भरना आवश्यक है, जिसके बिना कोटेशन अस्वीकृत किया जा सकता है।

38. **संविदा की वैधता :** संविदा बोली प्रदान किए जाने की तारीख से 3 वर्ष के लिए वैध रहेगी। वेंडर द्वारा उद्धृत की गई वर्ष-वार दर, संविदा अवधि के दौरान स्थिर रहेंगी।

39. **जोखिम क्रय खंड :** यदि बोली की प्रस्तुति तथा उसको विधिवत रूप से स्वीकृत किए जाने के बाद अर्थात आर्डर देने के बाद निविदा दस्तावेज़ की निबंधन एवं शर्तों का पालन करने और/या दिए गए निर्धारित समय सीमा के अनुसार कार्य निष्पादित करने में फर्म असफल होती हैं या किसी भी समय संविदा को छोड़ देती है तो संघ लोक सेवा आयोग को धरोहर जमा राशि को जब्त करने, फर्म द्वारा जमा की गई कार्य निष्पादन सुरक्षा राशि की जब्ती तथा फर्म के जोखिम तथा परिणाम पर अन्य फर्म से कार्य करवाने का अधिकार होगा। फर्म के बोली मूल्य तथा वैकल्पिक व्यवस्था के बीच होने वाले लागत के अंतर की वसूली अन्य प्रासंगिक प्रभारों सहित फर्म से की जाएगी। यदि संघ लोक सेवा आयोग को वैकल्पिक स्रोत से कार्य करवाने को विवश किया जाता है और उसकी लागत कम होती है तो इस मद पर मिलने वाला लाभ फर्म को नहीं दिया जाएगा।

40. **बोली का मूल्यांकन** :

क. **तकनीकी बोली का मूल्यांकन निम्नलिखित मानदंडों पर आधारित होगा:**

(i) सरकारी विभागों/पीएसयू/स्वायत्त निकायों/लोक सेवा आयोगों आदि में, अनुबंध-I क में यथा सूचीबद्ध 41 शहरों में से किसी भी 30 केंद्रों में एक समय में न्यूनतम 30,000 उम्मीदवारों के लिए कंप्यूटर आधारित भर्ती परीक्षा/परीक्षा आयोजित करने में बोलीदाता का अनुभव।

(ii) बोलीदाता द्वारा कार्य क्षेत्र (अनुबंध-I) तथा नि.आ.सू. के अन्य निबंधन एवं शर्तों के सन्दर्भ में अनुपालन रिपोर्ट के आधार पर।

(iii) शारीरिक रूप से दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए सुविधाएं, पावर बैकअप, जेनरेटर तथा यूपीएस., वातानुकूलन (एसी), बैकअप सर्वर के प्रकार, आदि सहित आयोग की अपेक्षाओं के अनुसार परीक्षण/परीक्षा केन्द्रों पर बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता।

(iv) पूर्ववर्ती 3 वर्षों अर्थात् 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 की आयकर विवरणी एवं लेखापरीक्षित बैलेंस शीट के आधार पर।

(v) नि.आ.सू. के पैरा-1(क), 6-11, 14 तथा 41 में वर्णित दस्तावेज़ों की शर्तों के आधार पर।

ख. वित्तीय बोली का मूल्यांकन निम्नलिखित मानदंडों पर आधारित होगा:

i. केवल उन्हीं बोलीदाताओं की " वित्तीय" बोली खोली जाएगी जिनकी तकनीकी बोली पूर्णत: कार्य क्षेत्र, बोलीदाता की तकनीकी क्षमताओं, नि.आ.सू. के पैरा-1(क), 6-11, 14 तथा 41 में यथा निर्धारित दस्तावेज़ों के प्रस्तुतीकरण तथा कम्प्यूटर आधारित भर्ती परीक्षण/परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए वेंडर द्वारा मुहैया कराई जाने वाली सुविधाओं के निरीक्षण के अनुसार तकनीकी बोली की विस्तृत जांच के बाद संघ लोक सेवा आयोग के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित की गई हो। वित्तीय बोली को खोलने की तारीख एवं समय की सूचना संबंधित पार्टियों को नियत समय पर दे दी जाएगी।

ii. दरें 'प्रति उम्मीदवार प्रति प्रश्नपत्र आधार पर जिन्हें प्रवेशपत्र जारी किया जाएगा' उद्धृत की जाए।

iii. एल-1 बोलीदाता का निर्णय एनपीवी (कुल वर्तमान मूल्य) तथा 10% वार्षिक छूट की दर तथा मूल्यांकन के समय यथा लागू कर के आधार पर किया जाएगा। एल-1 के निर्धारण के लिए केवल आधार दरों (अर्थात मूल्य अनुसूची का क्रमांक 1) पर विचार किया जाएगा। तथापि, वेंडर संघ लोक सेवा आयोग की अपेक्षाओं के अनुसार सभी परीक्षणों/परीक्षाओं का आयोजन करेंगे तथा एल-1 वेंडर को भुगतान वेंडर द्वारा उद्धृत वर्ष-वार दर तथा यथा लागू कर के आधार पर किया जाएगा। भुगतान, उस विशेष भर्ती परीक्षण/परीक्षा के लिए जारी प्रवेश पत्र की संख्या के आधार पर किया जाएगा। एल-1 फर्म का निर्णय करने संबंधी आकलन का विवरण अनुबंध-V (मूल्य अनुसूची) में दिया गया है।

41. इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि कार्य गोपनीय एवं संवेदनशील प्रकृति वाला है, बोलीदाता को तकनीकी बोली के साथ निम्नलिखित प्रमाणपत्र संलग्न करने होंगे:-

(i) बोलीदाता, संघ लोक सेवा आयोग की पूर्व अनुमति के बिना किसी अन्य को कम्प्यूटर आधारित भर्ती परीक्षण/परीक्षा से संबंधित किसी भी प्रकार के विवरण चाहे जो भी हो, प्रकट नहीं करेगा। फर्म को यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त निवारक उपाय करने होंगे कि कोई

भी यह न जान पाए कि कम्प्यूटर आधारित भर्ती परीक्षण/परीक्षा उनके द्वारा संघ लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित की जा रही है।

(ii) बोलीदाता प्रचालनात्मक पहलू पर कोई उप संविदा नहीं देगा और परीक्षा के सुरक्षित एवं सुचारू रूप से संचालन हेतु पूर्णरूप से जिम्मेदार होगा। तथापि, यदि अपेक्षित हो तो बोलीदाता भ.प./परीक्षा से कम से कम चार सप्ताह पूर्व संघ लोक सेवा आयोग को विधिवत रूप से सूचित करते हुए कम्प्यूटर हार्डवेयर एवं अन्य सहायक उपकरणों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक आधारभूत संरचना की व्यवस्था हेतु अन्य एजेंसियों के साथ गठजोड़ कर सकता है।

(iii) एजेंसी को सुनिश्चित करना होगा कि परीक्षा/भर्ती परीक्षण के आयोजन के लिए किराए पर लिए गए स्थल दो दिनों के लिए अर्थात् व्यवस्था वाले दिन तथा परीक्षा के संचालन वाले दिन के लिए होने चाहिए और किसी तीसरे पक्ष के लिए कोई परीक्षण/परीक्षा (ऑन-लाइन/ऑफ लाइन) या कोई अन्य कार्यकलाप दोनों दिनो के लिए किसी भी स्थल पर निश्चित नहीं की जानी चाहिए।

42. **दायित्व की सीमा:**

(i) कोई भी पक्ष किसी विशेष, अप्रत्यक्ष, आकस्मिक, परिणामी (लाभ या राजस्व की हानि, डेटा की क्षति सहित), अनुकरणीय या दंडात्मक क्षतियों के लिए दूसरे के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा चाहे वह अनुबंध, क्षति या कानून के अन्य सिद्धांतों में हो, भले ही ऐसी पार्टी को इस तरह के नुकसान की संभावना के बारे में सलाह दी गई हो। इस अनुबंध से उत्पन्न या इससे संबंधित किसी भी पक्ष की कुल संचयी दायित्व उस विशेष भर्ती परीक्षण/ परीक्षा के कार्य आदेश के मूल्य से अधिक नहीं होगी। हालांकि, यह सीमा जान बूझकर कदाचार से उत्पन्न होने वाले नुकसान के लिए किसी भी दायित्व पर लागू नहीं होगी।

(ii) चयनित एजेंसी को विस्तृत कार्य क्षेत्र के बिन्दु संख्या 3 में यथा परिभाषित महत्वपूर्ण चरणों को कार्यान्वित करना अपेक्षित होगा जिसे समय सीमा के साथ प्रत्येक भर्ती परीक्षण (आरटी)/परीक्षा के लिए वेंडर को मुहैया की जाएगी। यदि वेंडर प्रत्येक भर्ती परीक्ण/परीक्षा के लिए यथा निर्दिष्ट समय सीमा का अनुपालन करने में सक्षम नहीं होता है तो इस विलंबित अवधि के लिए प्रतिदिन के आधार पर उस भर्ती परीक्षण (आरटी)/परीक्षा, प्रश्नपत्र के लिए कुल भुगतान का 1% की दर से शास्ति अधिरोपित की जाएगी। तथापि उस विशेष भर्ती परीक्षण/परीक्षा के लिए अधिकतम शास्ति कुल भुगतान का 20% तक सीमित होगा। तद्नुसार, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा अगले चरण के लिए समय में कटौती कर ली जाएगी।

43. **भुगतान की शर्तें:**

(i) भुगतान वेंडर द्वारा उद्धृत किए गए वर्ष-वार दर तथा उस विशेष भर्ती परीक्षण/ परीक्षा के लिए जारी प्रवेश पत्र की संख्या के लिए यथा लागू कर के आधार पर किया जाएगा।

(ii) फर्म द्वारा भर्ती परीक्षण/परीक्षा के सफल आयोजन तथा संघ लोक सेवा आयोग के सूचना प्रणाली स्कंध के पूर्ण संतुष्टि के लिए डेटा प्रदान किए जाने के उपरांत 75% भुगतान किया जाएगा।

(iii) फर्म द्वारा डेटा के विश्लेषण, विसंगतियों में सुधार, यदि कोई हो, किए जाने तथा संघ लोक सेवा आयोग द्वारा साक्षात्कार आयोजित किए जाने के पश्चात् अंतिम परिणाम घोषित करने के बाद 25% भुगतान किया जाएगा।

44. **अनिवार्य बाध्यता:** फर्म अपने विवेकपूर्ण नियंत्रण की सीमा के परे अपने कार्य निपटान में आने वाली बाधाओं जिसमें प्राकृतिक आपदाओं सहित युद्ध, दंगे, अवरोध, तालाबंदी, किसी सरकारी प्राधिकरण की कार्रवाई, लाइसेंस प्राप्त करने में हुई देरी या सांविधियों के तहत आवेदन पत्रों की अस्वीकृति, विद्युत आपूर्ति, बाधा, दुर्घटना या विघटन, आग या बाढ़ भी शामिल है, या ऐसे कारणों से पैदा होने वाले किसी प्रभाव, जिनमें फर्म का दुराशय प्रकट न होता हो, के प्रति उत्तरदायी नहीं होगी। एजेंसी जिनके लिए अनिवार्य बाध्यता की शर्तों के लिए इस संविदा मूल्य के अंतर्गत दायित्वों को पूरा करना संभव नहीं हो तो उन्हें तत्काल उर्पयुक्त परिस्थितियों की शुरूआत तथा अंत के संबंध में लिखित रूप में आयोग को अधिसूचित करना होगा लेकिन किसी भी स्थिति में उस अवधि के शुरू होने से 10 (दस) दिन से अधिक नहीं होना चाहिए।

45. **मध्यस्थता:** संघ लोक सेवा आयोग तथा फर्म के बीच पैदा होने वाले किसी विवाद या मतभेद जो किसी परिणाम, उद्देश्य तथा प्रक्रिया या इस संविदा पर पड़ने वाले प्रभाव या संविदा भंग होने की स्थिति में विवाद का निपटान मध्यस्थता तथा समाधान अधिनियम, 1996 के उपबंधों के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्त माध्यस्थ द्वारा किया जाएगा और उसका निर्णय संघ लोक सेवा आयोग तथा फर्म दोनों पर बाध्यकारी होगा। मध्यस्थता का स्थल दिल्ली होगा।

46. **क्षेत्राधिकार:** मध्यस्थता के अध्यधीन उपर्युक्त के अलावा इस करार के कारण कोई वाद या कार्रवाई जो दोनों पक्षों में से किसी के भी अधिकार का हनन करती हो, दिल्ली में ही दायर की जाएगी और उस पर केवल दिल्ली के न्यायालय में ही न्यायिक जांच होगी और अन्य किसी न्यायालय में नहीं होगी और अब दोनों पक्ष ऐसे न्यायालय के क्षेत्राधिकार को स्वीकार करने के प्रति स्वेच्छा से सहमत होंगे।

47. **समाप्ति खंड:** संघ लोक सेवा आयोग संविदा की अवधि के दौरान किसी भी समय करार/संविदा को बिना कोई कारण बताएं एजेंसी को एक माह का नोटिस देकर संविदा को समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। सचिव, संघ लोक सेवा आयोग का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

48. **विस्तार खंड:** यदि, आयोग द्वारा निर्णय लिया जाता है तो संविदा की अवधि को मौजूदा निबंधन एवं शर्तों पर तीसरे वर्ष की दरों पर एक वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है।

49. **फॉल क्लॉज:** निम्नलिखित फॉल क्लॉज, सफल बोलीदाता के मामले में संविदा का एक हिस्सा होगी:-

(क) वेंडर द्वारा संविदा के अंतर्गत दी जाने वाली सेवा के लिए वसूली गई कीमत उस अवधि के दौरान जब तक कार्य पूरा नहीं हो जाता है या संविदा की दर के चलते सारा कार्य आदेश पूरा नहीं हो जाता है, उस न्यूनतम मूल्य से अधिक नहीं होनी चाहिए जिस पर वह वेंडर बिल्कुल उसी स्तर की सेवा देने [अर्थात इस दस्तावेज़ के अनुबंध-I में यथावर्णित मूल क्षेत्र/कार्य के

विवरण के अनुपालन हेतु सेवाएं] किसी अन्य व्यक्ति/संगठन जिसमें क्रेता या केन्द्र सरकार या राज्य सरकार का कोई विभाग या केन्द्र या राज्य सरकार के अंतर्गत कोई सांविधिक उपक्रम, जो भी स्थिति हो, को उपलब्ध कराने का प्रस्ताव करता है।

(ख) यदि किसी भी समय, उक्त अवधि के दौरान वेंडर अपना विक्रय मूल्य कम करता है, कम मूल्य पर अपनी उक्त सेवा किसी व्यक्ति/संगठन तथा क्रेता या केन्द्र सरकार के किसी विभाग या सरकार के अंतर्गत किसी सांविधिक उपक्रम को संविदा के अंतर्गत प्रभार्य दरों से कम मूल्य पर सेवाएं प्रदान करता है या प्रदान करने का प्रस्ताव करता है तो वह विक्रय में या विक्रय के प्रस्ताव में इस प्रकार की कटौती के बारे में, संघ लोक सेवा आयोग को सूचित करेगा और सेवाओं के लिए विक्रय या विक्रय के प्रस्ताव में इस प्रकार की कमी वाली संविदा के अंतर्गत भुगतान की जाने वाली कीमत में तदनुसार कटौती की जाएगी। उपर्युक्त शर्तें निम्न पर लागू नहीं होगी:-

(i) विक्रेता द्वारा किए गए निर्यात पर।

(ii) मौजूदा अथवा पूर्व दर संविदा के तहत केन्द्र अथवा राज्य सरकार के विभागों और उनके उपक्रमों सहित जिनमें संयुक्त क्षेत्र की कंपनियां और/ अथवा निजी पार्टियों और निकाय शामिल नहीं है, के साथ की गई पूर्व की किन्ही संविदाओं के अधीन संबद्ध प्राधिकारी द्वारा जारी करने की तारीख के दिन अथवा इसके पश्चात् सेवा मुहैया करना अथवा संविदा संबंधी आदेश प्रदान करना।

(ग) वेंडर को संविदा दर के अनुसार की गई सेवा के प्रत्येक बिल के भुगतान के लिए उसके साथ निम्नलिखित प्रमाण पत्र भुगतान अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा- " हम प्रमाणित करते है कि इस संविदा के अंतर्गत सरकार को प्रदान की जा रही ऐसी सेवाएं और उसी प्रकार की समरूप सेवाओं के लिए बिक्री मूल्य में कोई कटौती नहीं की गई है [अर्थात इस दस्तावेज के अनुबंध-I में यथा वर्णित मूल क्षेत्र/कार्य के विवरण के अनुपालन हेतु सेवाएं] मेरे/हमारे द्वारा किसी व्यक्ति/ संगठन क्रेता सहित या केन्द्र सरकार के किसी विभाग या राज्य सरकार के किसी विभाग या केन्द्र/राज्य सरकार के अंतर्गत किसी सांविधिक उपक्रम जो भी स्थिति हो, बिल की तारीख तक/इस संविदा दर के तहत दिए गए सभी आपूर्ति आदेशों को पूरा करने तक, सरकार से वसूली गई दर से कम कीमत पर इस प्रकार की सेवा का प्रस्ताव/बिक्री नहीं की गई है।"

50. उपर्युक्त संविदा की व्यापक शर्तें हैं। यदि फर्म को संविदा दिया जाता है तो वेंडर को संघ लोक सेवा आयोग के साथ एक अनुबंध (प्रति अनुबंध-V पर है) पर हस्ताक्षर करना होगा।

51. संघ लोक सेवा आयोग बिना कोई कारण बताए किसी भी या सभी बोलियों को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। सचिव, संघ लोक सेवा आयोग का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

52. निविदा सूचना संघ लोक सेवा आयोग की वेबसाइट: **www.upsc.gov.in** पर भी उपलब्ध है।

(आर.के. दीक्षित)
अवर सचिव (सामा. **II**)

अनुबंध-I

कार्य का विस्तृत क्षेत्र

संघ लोक सेवा आयोग नीचे सूचीबद्ध किए गए कुछ या सभी 72 शहरों में आयोग द्वारा यथा निर्णित मामला दर मामला आधार पर कम्प्यूटर आधारित भर्ती परीक्षण (सी बी आर टी)/परीक्षाओं के आयोजन पर विचार कर रहा है। उपर्युक्त परीक्षण के आवेदक कम्प्यूटर शिक्षित होगें। ऐसे शहरों में परीक्षण का आयोजन इंट्रानेट/लैन माहौल के अंतर्गत होंगे।

क्रम सं.	केन्द्र का नाम	क्रम सं.	केन्द्र का नाम	क्रम सं.	केन्द्र का नाम
1.	अगरतला	25.	गया	49.	नवी मुम्बई
2.	आगरा	26.	गाजियाबाद	50.	पणजी (गोवा)
3.	अहमदाबाद	27.	गोरखपुर	51.	पटना
4.	आईजोल	28.	गुड़गांव	52.	पांडिचेरी
5.	अजमेर	29.	ग्वालियर	53.	पोर्टब्लेयर
6.	अलीगढ़	30.	हैदराबाद	54.	पुणे
7.	इलाहाबाद	31.	इम्फाल	55.	रायपुर
8.	अंनतपुरम	32.	इन्दौर	56.	राजकोट
9.	औरंगाबाद	33.	ईटानगर	57.	रांची
10.	बैंगलोर	34.	जबलपुर	58.	सम्बलपुर
11.	बरेली	35.	जयपुर	59.	शिलांग
12.	भोपाल	36.	जम्मू	60.	शिमला
13.	बिलासपुर	37.	जोधपुर	61.	सिलिगुड़ी
14.	चंडीगढ़	38.	जोरहाट	62.	श्रीनगर
15.	चेन्नई	39.	कोची (कोचीन)	63.	थाणे
16.	कोयम्बटूर	40.	कोहिमा	64.	तिरूवन्नतपुरम
17.	कटक	41.	कोलकाता	65.	तिरूचिरापल्ली
18.	देहरादून	42.	कोझिकोड	66.	तिरूपति
19.	दिल्ली	43.	लखनऊ	67.	उदयपुर
20.	धारवाड़	44.	लुधियाना	68.	वाराणसी
21.	दिसपुर (गुवहाटी)	45.	मदुरै	69.	वेल्लोर
22.	फरीदाबाद	46.	मुम्बई	70.	विजयवाड़ा
23.	गंगटोक	47.	मैसूर	71.	विशाखापट्नम
24.	गौतमबुद्ध नगर	48.	नागपुर	72.	वारंगल

नोट:- उपर्युक्त परीक्षण केन्द्रों की संख्या सूचनात्मक हैं। तथापि, आयोग उम्मीदवारों की संख्या के आधार पर परीक्षण केन्द्रों की संख्या में परिवर्तन कर सकता है।

कम्प्यूटर आधारित भर्ती परीक्षण/परीक्षा संबंधी कार्यवाही को निम्नलिखित मॉडयूल में बांटा जाएगा:-

1. **परीक्षा-पूर्व कार्यकलाप:** आयोग द्वारा निम्नलिखित कार्यकलाप कार्यान्वित किए जाएंगे और प्रवेश पत्र/ई-प्रवेश पत्र तथा प्रवेशित उम्मीदवारों के केन्द्र-वार/स्थल-वार विवरणी की केवल नमूना प्रति और फोटोग्राफ तथा हस्ताक्षर की सॉफ्ट प्रति को परीक्षण के आयोजन के लिए अपेक्षित प्रारूप में एजेंसी को उपलब्ध कराया जाएगा:

i. आवेदन पत्रों को प्राप्त करना।
ii. केंद्र-वार विवरणी तैयार करना।
iii. आवेदन पत्रों की संवीक्षा।
iv. उन केन्द्रों (शहरों/स्थल) के संबंध में निर्णय लेना जहां सी.बी.आर.टी./परीक्षा आयोजित किए जाएंगे।
v. अनुक्रमांक आबंटित करना।
vi. ई-प्रवेश पत्रों की अपलोडिंग।

सभी परीक्षा-पूर्व कार्यकलाप आयोग द्वारा कार्यान्वित किए जाएंगे। उपर्युक्त 'घ' के संबंध में उन केंद्रों के लिए परीक्षण / परीक्षा स्थलों का निर्णय लेना जहां परीक्षा आयोजित की जानी है, जिसे केंद्र-वार विवरणी के आधार पर आयोग द्वारा परिभाषित एसओपी (मानक प्रचालन प्रक्रियाओं) में विनिर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर एजेंसी द्वारा किया जाना है।

2. **परीक्षा का आयोजन:** चुनी गई एजेंसी द्वारा निम्नलिखित कार्यकलाप किए जाएंगे और वह कम्प्यूटरों का प्रयोग करते हुए परीक्षा के सुचारू एवं निर्बाध आयोजन के लिए उत्तरदायी होगी।

i. उपर्युक्त पैरा-1 में उल्लिखित केंद्रों के अंतर्गत विशिष्ट परीक्षण/परीक्षा स्थलों का निर्णय उम्मीदवारों के ब्रेकअप पर निर्भर करेगा। तथापि परीक्षण स्थल/उपकेंद्र का चयन करने का अंतिम निर्णय आयोग का होगा।
ii. एजेंसी को उम्मीदवार की अधिकतम क्षमता मुहैया कराना अपेक्षित होगा जिसके लिए वे पैरा-I में वर्णित केंद्रों पर परीक्षा का आयोजन कर सके।
iii. हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर सहित पूर्ण आधारभूत संरचना उपलब्ध कराना।
iv. प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर इंट्रानेट आधारित उपाय द्वारा परीक्षा प्रक्रिया का प्रबंध करना।
v. परीक्षा केंद्र पर परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को अपेक्षित अनुदेश/सूचना प्रदान करने के लिए अपेक्षित डिस्प्ले कार्ड की व्यवस्था/मुहैया करना।
vi. डिस्प्ले में विशेष लैब/स्थान पर कितने उम्मीदवार बैठ रहे हैं, शामिल होने चाहिए।
vii. परीक्षण/परीक्षा स्थलों के अंदर सुस्पष्ट डेटा सुरक्षा, डेटा अंतरण एवं वास्तविक सुरक्षा सुनिश्चित करना। डेटा को अद्यतन करने या डेटा बेस सर्वर पर पहुंचने का अधिकार साईट पर्यवेक्षक के पास उपलब्ध नहीं होने चाहिए।
viii. प्रत्येक स्थल पर स्वचालित एवं फेलसेफ पूर्ण बैकअप सहित पूर्ण यूपीएस सुविधा सुनिश्चित करना।
ix. सर्वर रूम में वातानुकूलन की सुविधा तथा समस्त लैब में समुचित कुलिंग सुविधा खासकर एसी मुहैया कराया जाना है।
x. इंटरनेट सुविधा जैसे लीज लाइन/ब्राडबैंड/डेटाकार्ड जो कम से कम दो विभिन्न सेवा प्रदाता से होने चाहिए, मुहैया कराना।
xi. त्रुटि रहित (फेलसेफ) और सुरक्षित लैन अधिष्ठापित करना जो प्रत्येक स्थल में आस-पास के क्षेत्र के अन्य कम्प्यूटरों से युक्त हो और लैन उपस्कर तथा संसाधनों के पर्याप्त बैकअप के साथ हो।

xii. प्रत्येक स्थल पर सभी सॉफ्टवेयर सहित कलस्टर मोड/हॉट स्वपेवल मोड में बैकअप सर्वर मुहैया कराना और इसे आवश्यकता की स्थिति में प्रयोग के लिए तैयार रखना।

xiii. भर्ती परीक्षण से एक दिन पहले आयोग के प्रतिनिधि की उपस्थिति में पूर्ण एवं व्यापक मॉक ड्रिल सुनिश्चित करना तथा सफलतापूर्वक परीक्षा आयोजित करने का प्रमाण पत्र प्रदान करना कि लैन संयोजकता सहित पूर्ण हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर बिना किसी तकनीकी व्यवधान एवं बग्स के संतोषजनक ढंग से काम कर रहा है और एसी, पावर बैकअप आदि सहित सभी बैकअप सुविधाएं सुव्यवस्थित हैं।

xiv. यह सुनिश्चित करना कि परीक्षण के दौरान प्रत्युत्तर के लिए अपेक्षित सॉफ्टवेयर को छोड़कर उपलब्ध की-बोर्ड एवं अन्य हार्डवेयर जैसे पोर्ट, सीडी/डीवीडी आदि को निष्क्रिय कर दिए गए हैं।

xv. यह सुनिश्चित करना कि बैकअप सहित सभी टर्मिनल और सर्वर वायरस मुक्त/उचित रूप से सुरक्षित होंगे और परीक्षा के शुरू होने के पहले इस आशय का एक प्रमाणपत्र देना होगा।

xvi. आयोग द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार परीक्षण/परीक्षा के प्रारंभ से पर्याप्त समय पहले परीक्षण के लिए उपस्थित होने वाले प्रत्येक उम्मीदवार का एकदम सही पंजीकरण सुनिश्चित करना। पंजीकरण के समय वेबकैम पर लिए गए उम्मीदवार के फोटोग्राफ का उस फोटोग्राफ़ से मिलान करना चाहिए जो उम्मीदवार साथ लेकर आया है तथा उसकी बायोमीट्रिक सूचना ली जानी चाहिए, जिसे आयोग द्वारा भविष्य में इस्तेमाल के लिए सुरक्षित कर लेना चाहिए।

xvii. जिस टर्मिनल नंबर पर उम्मीदवार को परीक्षण/ परीक्षा देना होगा, वह केवल पंजीकरण के समय यादृच्छिक आधार पर आबंटित किया जाएगा।

xviii. सुरक्षित माहौल में आयोग से प्राप्त प्रश्न पत्रों को सुरक्षित रूप से संस्थापित एवं लागू करना।

xix. पर्याप्त पासवर्ड सुरक्षा के अंतर्गत इंक्रिप्टेड मोड के माध्यम से संवेदनशील आंकड़ों का संरक्षण एवं अंतरण सुनिश्चित करना। इन आंकड़ों का रख-रखाव आयोग द्वारा विशेष रूप से प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ही की जाए।

xx. आयोग द्वारा निर्धारित किए गए समय-सारणी के अनुसार पूर्ण रूप से संवेदनशील आंकड़े के अंतरण को कार्यान्वित करना।

xxi. आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रत्येक स्थान में सी.बी.आर.टी./ परीक्षा के आयोजन संबंधी पर्यवेक्षण, निरीक्षण और तकनीकी प्रचालन के लिए संबंधित एजेंसी जिम्मेदार होगी। तथापि, आयोग प्रत्येक स्थान में अपने प्रतिनिधि यह देखने एवं मॉनीटर करने के लिए नियुक्त कर सकता है कि भर्ती परीक्षण का आयोजन सुचारू एवं निष्पक्षता से हो।

xxii. आयोग की निम्नलिखित अपेक्षानुसार निरीक्षक, तकनीकी स्टॉफ, पर्यवेक्षक तथा अन्य स्टाफ मुहैया कराना :

क्रम सं.	तकनीकी/ गैर- तकनीकी स्टॉफ	अपेक्षित स्टॉफ
1.	निरीक्षक	लैब/ कमरे में न्यूनतम दो के साथ 24 उम्मीदवारों के लिए दो।
2.	स्थल पर्यवेक्षक	एक
3.	सहायक पर्यवेक्षक	प्रति स्थल दो

xxiii. आयोग द्वारा निर्धारित प्रपत्र में समुचित समय पर भर्ती परीक्षण/ परीक्षा से संबंधित सभी कार्मिकों को यह प्रमाणित करना होगा कि कोई भी उनका नजदीकी रिश्तेदार उपर्युक्त परीक्षा में शामिल नहीं हो रहा है।

xxiv. प्रतिरूपण की जांच के लिए एजेंसी को परीक्षा अवधि के दौरान टर्मिनल की स्क्रीन पर फोटो सहित उम्मीदवार के वैयक्तिक विवरण जैसे अनुक्रमांक एवं नाम मुहैया कराना होगा।

xxv. उम्मीदवारों के गतिविधियों की लगातार निगरानी एवं रिकार्डिंग के लिए एजेंसी को प्रत्येक स्थल पर समुचित संख्या में वेब-कैम/ सीसीटीवी स्थापित करने की व्यवस्था करनी होगी ताकि परीक्षण/ परीक्षा के दौरान लैब में सभी उम्मीदवारों के गतिविधियों की रिकार्डिंग को पूरी तरह से कवर किया जा सके। एजेंसी को भर्ती परीक्षण/ परीक्षा की समाप्ति के बाद सभी रिकार्डिंग आयोग को मुहैया करानी होगी।

xxvi. एजेंसी को मॉनीटरिंग कंसोल पर सभी स्थलों की परीक्षा से संबंधित कार्यकलापों की निगरानी एवं पर्यवेक्षण के लिए संघ लोक सेवा आयोग के नियंत्रण कक्ष में प्रबंध करना होगा।

xxvii. जब भी आवश्यक हो केंद्र पर आयोग की अपेक्षानुसार शारीरिक रूप से दिव्यांग उम्मीदवारों (अस्थि दिव्यांग, दृष्टि बाधित या श्रवण बाधित) की व्यवस्था के लिए एजेंसी उत्तरदायी होगी। जिस केन्द्र पर इस सुविधा की आवश्यकता है, एजेंसी को अग्रिम रूप से सूचित कर दिया जाएगा। तथापि, फर्म को प्रत्येक केन्द्र पर निम्नलिखित सुविधाओं के साथ कम से कम एक शारीरिक दिव्यांग फ्रेंडली स्थल निर्दिष्ट करना होगा:-

क) प्रत्येक केन्द्र पर दिव्यांग अनुरूप माहौल सहित अधिमानत: भू-तल पर शारीरिक रूप से दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए स्थल मुहैया कराना।
ख) शहरों के सभी भाग से अच्छी तरह से जुड़े हों जिससे आसानी से पहुंचा जा सके।
ग) पहुंचने की सुविधा एस.ए. हैंड रेल, लो फ्लोर सीढी सहित रैम्प।
घ) समुचित सूचक चिन्ह।
ङ) स्वच्छ शौचालय की उपलब्धता।
च) व्हील चेयर की सुविधा।

xxviii. परीक्षा की प्रक्रिया के दौरान सभी उम्मीदवारों की सभी कार्यकलापों का ऑडिट ट्रेल का रख-रखाव करना तथा परीक्षा की समाप्ति के 5 दिनों के भीतर आयोग को उक्त सामग्री पठनीय रूप में मुहैया कराना होगा।

3. **[सी.बी.आर.टी./परीक्षा के विभिन्न महत्वपूर्ण चरण:-]**

i. वेंडर द्वारा संघ लोक सेवा आयोग को ऑन-लाइन भर्ती परीक्षण के आयोजन के लिए स्थलों की अंतिम सूची मुहैया कराना, जो केन्द्र-वार सूची पर आधारित होगा।

ii. वेंडर द्वारा संबंधित भर्ती परीक्षण के लिए प्रक्रिया मैनुअल तथा आयोजित की जाने वाली भर्ती परीक्षण के लिए डेमो टेस्ट फाइल मुहैया कराना।

iii. वेंडर द्वारा अपेक्षित प्रारूप में भर्ती परीक्षण की समाप्ति के बाद परीक्षा डेटा अंतरित करना।

iv. वेंडर द्वारा साक्षात्कार के समय बायो-मैट्रिक व्यवस्था के माध्यम से उम्मीदवारों का सत्यापन करना।

4. प्रश्न पत्रों को तैयार करना एवं उनका प्रेषण:

प्रश्न बैंक एवं प्रश्न पत्रों के प्रेषण से संबंधित सभी कार्यकलाप आयोग द्वारा निष्पादित किए जाएंगे। एजेंसी को नीचे दिए गए विवरण के अनुसार उपयुक्त समय पर शामिल किया जाएगा:-

i. एजेंसी, आयोग के परामर्श से निर्धारित योजना के अनुसार प्रक्रिया, आधारभूत संरचना, सर्वरों, नेटवर्क, वीपीएन कनेक्शनों की पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे।

ii. एजेंसी को परीक्षा-पूर्व एवं पश्चात् के कार्यकलापों के लिए आयोग द्वारा निर्धारित मानक प्रचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) का अनुपालन करना होगा।

iii. एजेंसी प्रश्न पत्रों का आथरिंग टूल प्रदान करेगा जो 256 बिट इंक्रिप्शन सहित प्रश्न पत्रों की शुरू से लेकर अंत तक सुरक्षा सुनिश्चित करेगा।

iv. प्रश्न-बैंक तैयार करने का उत्तरदायित्व आयोग के पास रहेगा।

v. एजेंसी, प्रश्न पत्रों के प्रारूप सहित अपेक्षित यूजर फ्रेंडली सॉफ्टवेयर एवं क्रियाविधि प्रदान करने के लिए जिम्मेदार होगी। एजेंसी को सिक्योर्ड कम्प्यूटर सिस्टम/सर्वर में इस सॉफ्टवेयर, को संस्थापित करना होगा जिसे आयोग के कार्यालय में सुरक्षित रखा जाएगा। यदि अपेक्षित हो, तो एजेंसी को प्रश्न पत्रों के रख-रखाव के संबंध में डमी ड्रिल द्वारा उपयुक्त प्रशिक्षण देना होगा। यह कार्य आयोग द्वारा प्रश्न-पत्र बनाने से पर्याप्त समय पहले पूरा करना होगा।

vi. उम्मीदवारों को दिए जाने वाले प्रश्न पत्र में उत्तर विकल्प के साथ-साथ प्रश्नों को परिवर्तित करने की सुविधा सॉफ्टवेयर में होनी चाहिए ताकि दो उम्मीदवारों को एक ही प्रश्न के सेट नहीं मिल पाएं।

vii. प्र.-पैक के अंतरण और उम्मीदवारों को इसके वितरण के तौर-तरीके का निर्धारण आयोग द्वारा निर्दिष्ट प्रक्रियानुसार चयनित एजेंसी द्वारा किया जाएगा।

viii. प्रत्येक भर्ती परीक्षण/परीक्षा के आयोजन से पहले 25 दिनों के भीतर वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए संगत सी.बी.आर.टी./परीक्षा के लिए डेमो फाइल (मॉक टेस्ट) द्विभाषी रूप या अंग्रेजी में, जैसी स्थिति हो, एजेंसी को मुहैया करानी होगी। मॉक टेस्ट, आयोजित किए जाने वाले भर्ती परीक्षण/परीक्षा के टेम्प्लेट तथा आयोग की अपेक्षाओं के अनुरूप होनी चाहिए।

ix. एजेंसी को निरीक्षण अधिकारी के प्रयोग हेतु भर्ती परीक्षण/परीक्षा की तारीख से 15 दिनों के भीतर संगत सी.बी.आर.टी./परीक्षा की विस्तृत प्रक्रिया मैन्युअल मुहैया करनी होगी।

5. **परीक्षा के बाद की कार्यवाही:**

i. भर्ती परीक्षा समाप्त होने के तत्काल बाद एजेंसी को समुचित 'लॉग फाइलों' (पठनीय प्रारूप में) सहित समग्र आंकड़ों को पूर्ण रूप से सुरक्षित वातावरण में इंक्रिप्टेड रूप में आयोग के कंट्रोल रूम में अंतरित करने की व्यवस्था करनी होगी।

ii. एजेंसी तब आयोग द्वारा यथाअपेक्षित तथा परस्पर निर्णय के आधार पर रिपोर्ट तैयार करेगी। एजेंसी द्वारा रॉ स्कोरिंग तैयार की जाएगी जो उत्तर कुंजी पर आधारित होगी जिसे परीक्षा की समाप्ति के पश्चात आयोग द्वारा प्रदान किया जाएगा।

iii. एजेंसी द्वारा उपर्युक्त रिपोर्ट सहित समग्र आंकड़े उसी दिन 'सिक्योर्ड मोड' में आयोग को अंतरित करनी होगी।

iv. एजेंसी परीक्षण की समाप्ति के दो दिन के भीतर आयोग को वर्तमान उपस्थित उम्मीदवारों की सूची सहित पंजीकरण विवरण भी अंतरित करेगा।

v. आयोग आगे परीक्षा के बाद की कार्यवाही अर्थात् परिणाम की घोषणा के लिए उत्तरदायी होंगे।

vi. एजेंसी, यदि अपेक्षित हो तो प्रत्येक उम्मीदवार के द्वारा प्रयास किए गए प्रत्युत्तर सहित परीक्षा के प्रश्न-पत्रों की ई-मेलिंग के लिए सॉफ्टवेयर/सुविधा मुहैया कराएगी।

vii. तात्कालिक आधार पर परिणाम की प्रोसेसिंग करते समय आयोग द्वारा कोई विसंगति नज़र आती है, तो एजेंसी उसका समाधान करेगी।

टिप्पणी:-

1. एजेंसी द्वारा प्रत्येक परीक्षण/परीक्षा आयोजित किए जाने के पश्चात संघ लोक सेवा आयोग को आरटीआई, आदि को हैंडल करने के लिए संगत डेटा के साथ दस्तावेजी इनपुट भी मुहैया एवं सहायता की जाएगी।

2. एजेंसी, आयोग को दी जाने वाली टेस्ट डेटा सहित टेस्ट रन की पूर्ण प्रणाली, इसे लागू करने से पहले कार्यान्वित/प्रदर्शित करेगी।

3. एजेंसी को आवेदन पत्रों में कालक्रमानुसार जेनरेट होने वाली समस्त त्रुटियों, चेतावनियों और अपवादों को कैप्चर करने हेतु एप्लीकेशन/सर्वर लॉग्स को भी प्रदर्शित करने में सक्षम होना चाहिए।

अनुबंध-I क

ऑन-लाइन परीक्षा केन्द्रों की सूची

क्रम सं.	**शहर का नाम**	**क्रम सं.**	**शहर का नाम**
1.	अहमदाबाद	22.	जम्मू
2.	इलाहाबाद	23.	चंडीगढ़ / मोहाली
3.	बैंगलूरू	24.	पणजी
4.	भोपाल	25.	पोर्टब्लेयर
5.	मुम्बई	26.	धारवाड़
6.	कोलकाता	27.	मदुरै
7.	कटक	28.	रांची
8.	दिल्ली	29.	गंगटोक
9.	दिसपुर/ गुवहाटी	30.	कोहिमा
10.	हैदराबाद	31.	इम्फाल
11.	जयपुर	32.	अगरतला
12.	चेन्नई	33.	जोरहाट
13.	नागपुर	34.	आईजोल
14.	देहरादून	35.	ईटानगर
15.	पटना	36.	रायपुर
16.	शिलांग	37.	तिरूपति
17.	शिमला	38.	विशाखापटनम
18.	श्रीनगर	39.	उदयपुर
19.	तिरूवनन्तपुरम	40.	सम्बलपुर
20.	एर्नाकुलम	41.	बरेली
21.	लखनऊ		

<u>अनुबंध-II</u>

<u>कार्य-क्षेत्र के संदर्भ में अनुपालन रिपोर्ट</u>

हम (फर्म का नाम) ---------- निविदा आमंत्रण सूचना के अनुसार निम्नानुसार तकनीकी अनुपालन रिपोर्ट एतद्-द्वारा प्रस्तुत करते हैं।:-

क्रम सं.	विवरण	अनुपालन रिपोर्ट (हां या नहीं का उल्लेख करें)	पृष्ठ सं.
1	हम कार्य-क्षेत्र (अनुबंध-I) और नि.आ.सू. के अन्य निबंधन एवं शर्तों के संबंध में बोलीदाताओं द्वारा सौंपे जाने वाली मदों की स्वीकृति एवं समझौते की पुष्टि करते हैं।		
2	उन उम्मीदवारों की संख्या जिनके लिए कम्प्यूटर आधारित भर्ती परीक्षण/परीक्षा एक साथ आयोजित की जाएगी, दर्शायी गई है।		
3	कार्यक्षेत्र के अनुबंध-1 क में उल्लिखित केंद्रों (कुल 41)के अनुसार परीक्षण बिंदुओं की अधिकतम क्षमता का विवरण संलग्न है।		
4	हम पुष्टि करते हैं कि फर्म नि.आ.सू. में सभी सूचीबद्ध केंद्रों में कार्य क्षेत्र के अनुसार कंप्यूटर आधारित भर्ती परीक्षण/ परीक्षा आयोजित कर सकती है।		
5	एजेंसी आयोग के परामर्श से तैयार की गई योजना के अनुसार प्रक्रियाओं, बुनियादी ढांचे, वीपीएन कनेक्शन आदि की पूर्ण सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होने का वचन देती है।		
6*	सभी स्थानों पर उपलब्ध कराए जाने वाले लैन बैक-अप उपकरण और वीपीएन कनेक्शन के साथ सुरक्षित लैन सिस्टम का विवरण प्रस्तुत किया गया है।		
7*	संघ लोक सेवा आयोग के नियंत्रण कक्ष से उम्मीदवारों की गतिविधियों की निरंतर निगरानी के लिए प्रत्येक प्रयोगशाला में स्थापित किए जाने वाले वेब-कैम/सीसीटीवी का विवरण प्रस्तुत किया गया है।		
8*	प्रत्येक उम्मीदवार की फोटो कैप्चर करने और बायो-मीट्रिक जानकारी कैप्चर करने संबंधी सुविधाओं सहित पंजीकरण काउंटरों का विवरण। प्रति काउंटर उम्मीदवारों की संख्या भी इंगित करें।		
9*	सुरक्षित वातावरण के तहत वीपीएन के माध्यम से डेटा संरक्षण और डेटा के हस्तांतरण के लिए विस्तृत कार्यप्रणाली का संकेत दिया गया है।		
10*	कार्य क्षेत्र में यथापरिभाषित परीक्षण पूर्व की गतिविधियों के संबंध में उपलब्ध कराई गई विस्तृत गतिविधियों को दर्शाया गया है।		
11*	कार्य क्षेत्र के संबंध में वीपीएन कनेक्टिविटी के माध्यम से प्रश्न पत्रों को तैयार करने और भेजने संबंधी विस्तृत कार्यप्रणाली को दर्शाया गया है।		
12	एजेंसी परीक्षा के समापन के बाद उम्मीदवारों की सभी गतिविधियों के ऑडिट ट्रेल सहित उम्मीदवारों के सभी डेटा आयोग को उपलब्ध कराएगी।		
13	एजेंसी, केंद्रीकृत निगरानी कंसोल पर सभी स्थानों की परीक्षा गतिविधियों की निगरानी और पर्यवेक्षण के लिए संघ लोक सेवा आयोग नियंत्रण कक्ष में व्यवस्था करेगी।		
14	हम पुष्टि करते हैं कि स्थान दो दिनों के लिए बुक किया जाएगा अर्थात		

	व्यवस्था के दिन और परीक्षा के आयोजन के दिन के लिए और किसी भी तीसरे पक्ष की कोई परीक्षण/ परीक्षा (ऑनलाइन/ऑफलाइन) या अन्य गतिविधि दोनों दिन निर्धारित नहीं की जाएगी।		
15	हम पुष्टि करते हैं कि सॉफ्टवेयर द्विभाषी प्रश्न पैक बनाने में सक्षम है।		
16	हम पुष्टि करते हैं कि कंप्यूटर आधारित भर्ती परीक्षा/परीक्षण आयोजित करने के लिए फर्म आईएसओ 9001 और आईएसओ 27001 प्रमाणित है।		

* बोलीदाता को अलग शीट पर संदर्भ पृष्ठ संख्या के साथ सभी अपेक्षित विवरण उपलब्ध कराना होगा

निविदा दस्तावेजों के शर्तों के संबंध में कार्यकलापों/कार्य-क्षेत्र में निम्नलिखित अंतर हैं:-

दिनांक:	**हस्ताक्षर:**
फर्म का नाम:	
कम्पनी की मुहर:	

अनुबंध-II क

हम (फर्म का नाम) _____ एतद्वारा उन केंद्रों की सूची प्रस्तुत करते हैं जहां हमने पिछले 05 (पांच) वर्षों के दौरान एक ही स्लॉट में सफलतापूर्वक सीबीआरटी आयोजित किया है:-

क्र.सं.	केन्द्र का नाम	उम्मीदवारों की संख्या	आयोजित सीबीआरटी की तिथि	आयोजित सीबीआरटी का समय	समर्थित दस्तावेज/ पृष्ठ सं.
1	अहमदाबाद				
2	इलाहाबाद				
3	बैंगलूरू				
4	भोपाल				
5	मुम्बई				
6	कोलकाता				
7	कटक				
8	दिल्ली				
9	दिसपुर/गुवाहाटी				
10	हैदराबाद				
11	जयपुर				
12	चेन्नई				
13	नागपुर				
14	देहरादून				
15	पटना				
16	शिलांग				
17	शिमला				
18	श्रीनगर				
19	तिरूवनन्तपुरम				
20	एर्नाकुलम				
21	लखनऊ				
22	जम्मू				
23	चंडीगढ़/मोहाली				
24	पणजी				
25	पोर्टब्लेयर				
26	धारवाड़				
27	मदुरै				
28	रांची				
29	गंगटोक				
30	कोहिमा				
31	इम्फाल				

32	अगरतला				
33	जोरहाट				
34	आईजोल				
35	ईटानगर				
36	रायपुर				
37	तिरूपति				
38	विशाखापटनम				
39	उदयपुर				
40	सम्बलपुर				
41	बरेली				

***बोलीदाता को आयोजित प्रत्येक सीबीआरटी के लिए अलग शीट उपलब्ध कराना आवश्यक है।**

<u>अनुबंध-III</u>

सीबीआरटी/परीक्षा आयोजित करने के लिए निविदा आमंत्रण सूचना:

हमने आपके दिनांक ---------- के एनआईटी के प्रत्युत्तर में _____ (फर्म का नाम और पता) ने संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली ऑनलाइन भर्ती परीक्षाओं के संचालन के लिए एक तकनीकी और वित्तीय बोली प्रस्तुत की है। जैसा कि नि.आ.सू. के तहत अपेक्षित है, हम निम्नानुसार प्रमाणित करते हैं: -

1. कि निविदा के सभी नियम एवं शर्तें हमें स्वीकार्य हैं।

2. यह कि मुझे/हमें तत्काल पूर्ववर्ती तीन वर्षों के दौरान आय/धन को छिपाने के लिए दंडित या दोषी नहीं ठहराया गया है।

3. कि हम नि.आ.सू. में निर्दिष्ट कार्य क्षेत्र को पूरी तरह से समझते हैं और बोली पूर्ण रूप से कार्य क्षेत्र के अनुसार है।

(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)
फर्म/बोलीदाता का नाम और पता

अनुबंध-III क

वचनबद्धता

हम _____ (फर्म का नाम) एतद्वारा पुष्टि करते हैं कि हमारे पास नि.आ.सू. के अनुलग्नक-I क में उल्लिखित 41 केंद्रों पर एक ही स्लॉट में न्यूनतम 50,000 उम्मीदवारों के लिए सीबीआरटी आयोजित करने की क्षमता है और आयोजित करेंगे।

(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)
फर्म/बोलीदाता का नाम और पता
फोन नंबर _____

अनुबंध-IV

मूल्य अनुसूची

सी.बी.आर.टी./परीक्षा के लिए :

क्रम सं.	मद का विवरण	प्रथम वर्ष (Y1) के लिए प्रति उम्मीदवार दर	द्वितीय वर्ष Y(2) के लिए प्रति उम्मीदवार दर	तृतीय वर्ष (Y3) के लिए प्रति उम्मीदवार दर	निविदा की तारीख को यथालागू कर की प्रभावी दर % में	एनपीवी (कर रहित)
1.	50,000 उम्मीदवारों (लगभग) तक के लिए सीबीआरटी का आयोजन					
2	आयोग के कोविड-19 दिशा-निर्देशों का कार्यान्वयन**					

**संघ लोक सेवा आयोग के कोविड-19 दिशा-निर्देशों की प्रति अनुलग्नक-IV क में दी गई है। कोविड-19 की दरें तभी लागू होंगी जब आयोग इस आवश्यकता को बताएगा।

1. प्रथम वर्ष की शुरूआत संविदा प्रदान किए जाने की तारीख से होगी।

2. दरें केवल भारतीय रुपए में उद्धृत की जाएंगी।

3. दरें " प्रति उम्मीदवार जिन्हें प्रवेश पत्र जारी किया जाएगा" के आधार पर उद्धृत की जाएंगी और नि.आ.सू. में निर्दिष्ट सभी केन्द्रों पर सिस्टम की ढुलाई एवं अधिष्ठापन से संबंधित सभी प्रभार शामिल होंगे।

4. कर प्रति उम्मीदवार/प्रति प्रश्न पत्र जिन्हें प्रवेश पत्र जारी किया जाएगा के आधार पर दरों के साथ अलग से उद्धृत की जाएगी।

5. बोलीदाता संघ लोक सेवा आयोग के कोविड-19 दिशा-निर्देशों के कार्यान्वयन की लागत को छोड़कर सीबीआरटी (मूल्य अनुसूची का क्रमांक 1) के संचालन के लिए अनिवार्य रूप से आधार दरों को उद्धृत करेगा। संघ लोक सेवा आयोग के कोविड-19 दिशा-निर्देशों के कार्यान्वयन के लिए दरों को मूल्य अनुसूची के क्रमांक 2 में अलग से उद्धृत किया जाएगा। एल-1 का निर्धारण सीबीआरटी (मूल्य अनुसूची का क्रमांक 1) के संचालन के लिए आधार दरों के आधार पर किया जाएगा।

6. एनपीवी (कुल वर्तमान मूल्य) की गणना 10% वार्षिक छूट की दर पर की जाएगी। एल-1 फर्म को निर्धारित करने संबंधी आकलन का विवरण नीचे दिया गया है :-

एनपीवी = $\{Y1+Y2/(1+0.1)+Y3/(1+0.1)^2\}$

[एनपीवी= कुल वर्तमान मूल्य; Y1= प्रथम वर्ष के लिए उद्धृत की गई दर; Y2= द्वितीय वर्ष के लिए उद्धृत की गई दर तथा Y 3=तृतीय वर्ष के लिए उद्धृत की गई दर]

एनपीवी का उदाहरण:

(i) यदि Y 1 = 150, Y 2= 200 तथा Y3 = 240, तब एनपीवी की गणना निम्नानुसार होगी:-

एनपीवी= 150+ (200 / 1.1) + (240 / 1.21)
= 150+ 181.82 + 198.35
= 530.17

अत: एनपीवी 530. 17 रूपए है।

(ii) यदि Y 1 = 300, Y 2= 250 तथा Y 3 = 200, तब एनपीवी की गणना निम्नानुसार होगी:-

एनपीवी = 300+ (250 / 1.1) + (200 / 1.21)
= 300+ 227.27 + 165.29
= 692.56

अत: एनपीवी 692. 56 रूपए है।

7. एल-1 वेंडर का चयन एनपीवी सहित निविदा की तारीख को लागू करों के आधार पर किया जाएगा। भुगतान वेंडर द्वारा उद्धृत की गई वर्ष-वार दर सहित उस विशेष भर्ती परीक्षण/परीक्षा के लिए जारी प्रवेश पत्र की संख्या के लिए यथा लागू कर के आधार पर की जाएगी।

8. यदि परीक्षण/परीक्षा एक से ज्यादा सत्र में आयोजित की जाती है तो भुगतान उम्मीदवारों को जारी प्रवेश पत्र गुणा सत्र की संख्या के आधार पर किया जाएगा।

दिनांक: हस्ताक्षर
फर्म का नाम:
कंपनी की मोहर:

अनुलग्नक –IV क

कोविड-19 महामारी के मद्देनजर संघ लोक सेवा आयोग सीबीआरटी परीक्षाओं के संचालन के लिए पर्यवेक्षकों/वेंडरों/निरीक्षकों और अन्य परीक्षा कार्यकर्ताओं के समन्वय के लिए दिशानिर्देश

क. परिसर का सैनिटाइजेशन

1. निम्नलिखित सहित परिसर के सभी क्षेत्रों को व्यवस्था के दिन यानी परीक्षा के दिन से एक दिन पहले उपयोगकर्ता के अनुकूल कीटाणुनाशक माध्यमों का उपयोग करके पूरी तरह से साफ किया जाएगा:

- प्रवेश द्वार
- परीक्षा कक्ष, मेज़, कुर्सियां इत्यादि।
- शौचालय, वासबेसिन, जल लेने के स्थान आदि
- उपकरण एवं लिफ्टें, यदि कोई हो।

ख. अभ्यर्थियों का प्रवेश

2. अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे परीक्षा स्थल पर परीक्षा शुरू होने से पहले पहुंच जाएं।

3. केंद्र प्रमुख और तकनीकी टीम के लिए परीक्षा शुरू होने से कम से कम तीन घंटे तीस मिनट पहले और उम्मीदवारों के लिए परीक्षा शुरू होने से एक घंटे तीस मिनट पहले स्थल का प्रवेश द्वार खोला जाएगा।

4. स्थल में प्रवेश के बाद, उम्मीदवार सीधे अपने संबंधित परीक्षा कक्ष/हॉल में जाएंगे और परिसर में प्रतीक्षा/घूमने के बजाय अपनी आवंटित सीटों पर बैठेंगे। वे परिसर में किसी भी स्थान पर एकत्रित नहीं होंगे।

5. पुलिस कर्मी/कर्मचारी यह सुनिश्चित करें कि उम्मीदवार परीक्षा स्थल में प्रवेश करते समय और अपने आवंटित परीक्षा कक्षों/हॉल में जाते समय सामाजिक दूरी के मानदंडों का पालन करें।

6. संबंधित कक्ष के पर्यवेक्षकों में से एक परीक्षा शुरू होने से कम से कम एक घंटे पहले अपने संबंधित कमरे में उपलब्ध होगा और यह देखेगा कि उम्मीदवार इधर–उधर घूमने के बदले अपनी आबंटित सीट पर बैठें।

7. कंप्यूटर आधारित परीक्षा/आरटी के निर्धारित समय से 45 मिनट पहले परीक्षा स्थल में प्रवेश बंद कर दिया जाएगा। इस संबंध में मौजूदा प्रावधान में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

8. अभ्यर्थियों के एकत्रित होने से बचने के लिए परीक्षा के दिन पूरे स्थान के लिए प्रमुख स्थानों पर सिटिंग प्लान पर्याप्त संख्या में लेकिन पांच से कम न हो प्रदर्शित की जानी चाहिए।

9. परीक्षा के दौरान परिसर के अंदर और बाहर सामाजिक दूरी के मानदंडों का विधिवत पालन सुनिश्चित करें।

ग. उम्मीदवारों की तलाशी

10. शारीरिक संपर्क से बचने के लिए उम्मीदवारों की तलाशी नहीं की जाती है। हालाँकि, गेट पर उम्मीदवारों के प्रवेश के दौरान, एक सहायक पर्यवेक्षक को एक घोषणा करनी चाहिए, जिसे समय-समय पर सार्वजनिक उद्घोषणा प्रणाली पर, गेट बंद होने तक दोहराया जाना है, यह सूचित करते हुए कि:

" बैग, मोबाइल फोन, आई.टी. गैजेट्स, कोई अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या संचार उपकरण, लाइटर/माचिस के बक्से और कीमती सामान या महंगी वस्तुओं के रूप में उपयोग किए जाने वाले किसी भी अन्य उपकरण को उस परिसर के अंदर ले जाने की अनुमति नहीं है जहां परीक्षा आयोजित की जा रही है। इन निर्देशों के किसी भी उल्लंघन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी, जिसमें भविष्य की परीक्षाओं पर प्रतिबंध और पुलिस में प्राथमिकी दर्ज करना शामिल है। इस तरह की वस्तुओं की सुरक्षा का आश्वासन नहीं दिया जा सकता है और इस संबंध में किसी भी नुकसान के लिए आयोग को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा।"

घ. <u>बैठने की व्यवस्था</u>

11. वेंडर यह सुनिश्चित करेगा कि कम्प्यूटर कक्ष में बैठने की व्यवस्था सरकार द्वारा निर्धारित सामाजिक दूरी मानदंड के अनुरूप हो। उम्मीदवारों को एक दूसरे से कम से कम 6 फीट (2 गज) की दूरी बनाए रखने की आवश्यकता है।

यदि कोई उम्मीदवार सोशल डिस्टेंसिंग के कारण बैठने की व्यवस्था से संतुष्ट नहीं है और अपनी सीट बदलने का अनुरोध करता है, तो निम्नलिखित दिशानिर्देशों को ध्यान में रखा जाना चाहिए।:

- उम्मीदवार प्रत्येक सत्र में परीक्षा शुरू होने से पांच मिनट पहले तक कमरे/हॉल में निरीक्षक से सोशल डिस्टेंसिंग के कारण सीट परिवर्तन के लिए अनुरोध कर सकते हैं।
- इस संबंध में, उम्मीदवार से प्रारूप (अनुलग्नक) के अनुसार एक वचनबद्धता प्राप्त की जाएगी।
- इस तरह के अनुरोध की प्राप्ति पर, कक्ष/हॉल में पर्यवेक्षक उम्मीदवारों को सामाजिक दूरी के मानदंड को बनाए रखते हुए किसी अन्य कंप्यूटर नोड पर समायोजित करेंगे।
- ऐसे सभी मामलों की निगरानी में अतिरिक्त सतर्कता बरती जानी चाहिए।
- ऐसे सभी उम्मीदवारों से प्राप्त सभी वचनबद्धता के साथ वेंडर द्वारा मामले की एक रिपोर्ट अवर सचिव, ईआईए-आर, संघ लोक सेवा आयोग, धौलपुर हाउस, नई दिल्ली को भेजी जानी चाहिए। रिपोर्ट की एक प्रति परीक्षा के दिन ही नियंत्रण कक्ष, संघ लोक सेवा आयोग को भी भेजी जा सकती है।

12. यदि कोई अभ्यर्थी यह देखता है कि अभ्यर्थी बार-बार छींक रहा है या खांस रहा है या उसे सांस लेने में कठिनाई हो रही है, तो मामले को वेंडर के ध्यान में लाया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थियों के बैठने की व्यवस्था वेंडर अलग से करेगा। ऐसे सभी उम्मीदवारों से प्राप्त सभी वचनबद्धता के साथ इस मामले पर वेंडर द्वारा एक रिपोर्ट अवर सचिव, ईआईए-आर, संघ लोक सेवा आयोग, धौलपुर हाउस, नई दिल्ली को भेजी जानी चाहिए। नियंत्रण कक्ष, संघ लोक सेवा आयोग को परीक्षा के दिन ही सभी मामलों से अवगत कराया जाए।

ङ. <u>मास्क पहनना</u>

13. परीक्षा के सभी अधिकारियों के साथ-साथ उम्मीदवारों के लिए मास्क पहनना/चेहरा ढकना अनिवार्य है।

14. उम्मीदवारों को परिसर में प्रवेश के समय और उम्मीदवारों के विवरण के सत्यापन के समय या जब भी परीक्षा अधिकारियों द्वारा आवश्यक समझा जाता है, तो उनकी पहचान की जांच करने और उनकी पहचान की पुष्टि करने के लिए अपने मास्क को हटाने के लिए कहा जा सकता है।

च. उम्मीदवारों की उपस्थिति

15. पंजीकरण डेस्क पर अभ्यर्थी के पंजीयन के बाद वेंडर हर बार बायोमैट्रिक मशीन को सैनिटाइज करने की व्यवस्था करेगा।

छ. हैंड सैनिटाइज़र, फेस मास्क और दस्ताने का प्रावधान

16. वेंडर प्रत्येक परीक्षा अधिकारी के उपयोग के लिए 50 मिलीलीटर हैंड सैनिटाइज़र की बोतल, फेस मास्क (3 प्लाई मास्क) और मानक गुणवत्ता के दस्ताने पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराएगा।

17. वेंडर प्रत्येक सत्र में परीक्षा स्थल में प्रवेश करने से पहले उम्मीदवारों को अपने हाथों को सैनीटाइज करने को सुविधाजनक बनाने के लिए गेट के प्रवेश द्वार पर पर्याप्त मात्रा में सैनिटाइज़र उपलब्ध करेगा। इसके लिए कर्मचारियों की तैनाती की जा सकती है।

18. वेंडर आवंटित उम्मीदवारों के 10% तक के लिए फेस मास्क (3 प्लाई मास्क) का प्रावधान भी सुनिश्चित करेगा ताकि यह उन उम्मीदवारों को प्रदान किया जा सके जिनके पास चेहरा ढकने के लिए फेस मास्क या कपड़ा नहीं है।

19. उम्मीदवारों को परीक्षा के आयोजन के दौरान उनके उपयोग के लिए पारदर्शी बोतलों में अपना स्वयं का हैंड सैनिटाइज़र (छोटे आकार) लाने की भी अनुमति होगी।

नोट: हैंडबुक में उल्लिखित या वेंडर/निरीक्षक/अन्य परीक्षा कर्मियों को अलग से जारी दिशा-निर्देशों/अनुदेशों को उपर्युक्त सीमा तक संशोधित किया गया है।

अनुलग्नक (अनुलग्नक-**IV** क के लिए)

<u>वचन-बद्धता</u>

(सामाजिक दूरी का रखरखाव)

मैं ..... (अनुक्रमांक .....)पुत्र/पुत्री श्री ..... को आवंटित सीट पर आपत्ति है। मेरी मांग पर ..... (सीबीआर टी,20.....)के संबंध में
आबंटित सीट को उसी लैब/अन्य लैब में अलग स्थान पर दे दिया जाए। अब मैं अपने बैठने की व्यवस्था से पूरी तरह संतुष्ट हूं।

उम्मीदवार के हस्ताक्षर .....

नाम .....

अनुक्रमांक .....

निरीक्षक के हस्ताक्षर .....

पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर .....
नाम और पदनाम .....
रबर सील के साथ

अनुबंध- v

<u>अनुबंध (ड्राफ्ट)</u>

संघ लोक सेवा आयोग, जिसका कार्यालय धौलपुर हाउस, शाहजहाँ रोड, नई दिल्ली – 110069 है (इसके बाद "सं.लो.से.आ." के रूप में संदर्भित है) एक पक्ष और दूसरा पक्ष **मेसर्स** _____ के बीच _____ के दिन_____ 2022 को नई दिल्ली में समझौता किया गया जिसका कॉर्पोरेट कार्यालय _____ में स्थित है (इसके बाद "_____" के रूप में संदर्भित किया गया है, जो अभिव्यक्ति, जब तक कि यह संदर्भ या अर्थ के प्रतिकूल न हो, को दूसरे भाग का मतलब माना जाएगा और इसके उत्तराधिकारी और असाइनमेंट शामिल होंगे)।

और जबकि _____ यहां निर्धारित निबंधन और शर्तों और शुल्कों के अनुसार और निविदा संख्या एफ.सं.2.2(6)/2019-जी.II में पूरी परियोजना को शुरू करने के लिए सहमत है।

अब, इसके द्वारा दोनों पक्षों द्वारा इस प्रकार सहमति व्यक्त की जाती है:

1. परिभाषाएं

1.1 भर्ती परीक्षण: उम्मीदवारों की भर्ती कंप्यूटर आधारित भर्ती परीक्षण द्वारा सीधी भर्ती के माध्यम से की जाती है।

1.2 परीक्षा: ये संरचित नियमित परीक्षाएं हैं (पूर्व परिभाषित) अर्थात एससीआरए, सीएपीएफ (एसी), सीएमएस, सीएस (प्रा.) आदि।

1.3 परीक्षा केंद्र: ये कंप्यूटर आधारित परीक्षा/भर्ती परीक्षण के स्थान हैं जहां वेंडर द्वारा वास्तविक परीक्षा/भर्ती परीक्षा आयोजित की जानी है।

1.4 परीक्षा का आयोजन: संघ लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के अनुसार कंप्यूटर आधारित परीक्षा/भर्ती परीक्षण आयोजित की जाएगी।

2. संविदा की अवधि

संविदा दिए जाने की तारीख से 3 (तीन) वर्षों के लिए वैध होगा। वेंडर द्वारा उद्धृत वर्षवार दर संविदा अवधि के दौरान स्थिर रहेगी। संविदा अवधि के दौरान कीमतें और अन्य निबंधन एवं शर्तें समान रहेंगी।

3. कार्य/कार्यक्षेत्र का संक्षिप्त विवरण

अनुबंध-I के अनुसार।

4. अन्य निबंधन और शर्तें:

(i) प्रश्न पत्र तैयार करने, कंप्यूटर आधारित परीक्षा, उम्मीदवार की बायोमेट्रिक संचालन आदि के लिए सभी सॉफ्टवेयर वेंडर के स्वामित्व में होने चाहिए या उनके पास लाइसेंस की प्रति होनी चाहिए जो कम से कम पिछले 3 वर्षों से तीसरे पक्ष के सुरक्षा अनुपालन के साथ उपयोग में होनी चाहिए। कार्य क्षेत्र के संदर्भ में संघ लोक सेवा आयोग की आवश्यकता को पूरा करने के लिए वेंडर को सभी सॉफ्टवेयर के किसी भी मॉड्यूल में परिवर्तन करने में सक्षम होना चाहिए (अनुलग्नक I)।

(ii) वेंडर को सं.लो.से.आ. द्वारा निर्धारित तिथियों के अनुसार भर्ती परीक्षण (आरटी)/परीक्षा आयोजित करनी होगी। वेंडर को यह सुनिश्चित करना होगा कि परीक्षा/भ.प. के संचालन के लिए किराए पर लिया गया स्थान दो दिनों के लिए होना चाहिए अर्थात व्यवस्था के दिन और परीक्षा के आयोजन के दिन के लिए। तथापि, व्यवस्था के दिन वेंडर को सुबह 8:00 बजे से शाम 6:00 बजे के बीच तीन घंटे के स्लॉट की व्यवस्था सं.लो.से.आ. की आवश्यकता के अनुसार मॉक टेस्ट आयोजित करने के लिए करनी होगी। सं.लो.से.आ. द्वारा आरटी/परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लेने के बाद परीक्षा आयोजित करने के लिए वेंडर को दो महीने का समय दिया जाएगा।

(iii) टेस्ट इंजन के सॉफ्टवेयर के सोर्स कोड पर वेंडर का पूरा अधिकार होना चाहिए। वेंडर को सं.लो.से.आ. की आवश्यकता के अनुसार सॉफ्टवेयर में परिवर्तन करने में सक्षम होना चाहिए। यदि सॉफ़्टवेयर के वर्जन में कोई परिवर्तन होता है, तो इसकी सूचना वेंडर द्वारा सं.लो.से.आ. को दी जाएगी या सं.लो.से.आ. द्वारा अपेक्षित किसी भी परिवर्तन को सं.लो.से.आ. से अनुमोदन के बाद ही अपग्रेड/कार्यान्वित किया जाना चाहिए। अनुमोदन के बाद, अगले भ.प./परीक्षा से केवल अपग्रेड किए गए वर्जन का उपयोग किया जाना है।

(iv) उम्मीदवारों को परीक्षा के दौरान माउस क्लिक करते ही उम्मीदवारों के लिए अनुदेश उपलब्ध हो जाने चाहिए।

(v) वेंडर इस उद्देश्य के लिए आवंटित निर्धारित समय के भीतर परीक्षण/परीक्षा के स्थान पर रिपोर्ट करने वाले उम्मीदवारों की तस्वीरों तथा बायोमेट्रिक उंगलियों के निशान को सफलतापूर्वक कैप्चर करने के लिए जिम्मेदार होगा। कैप्चर की गई बायोमेट्रिक जानकारी को सं.लो.से.आ. के साथ साझा करना होगा और सं.लो.से.आ. के कार्यालय में साक्षात्कार के समय वेंडर द्वारा सत्यापित भी करना होगा।

(vi) परीक्षा अवधि के दौरान टर्मिनल पर प्रत्येक उम्मीदवार की स्क्रीन पर फोटो/हस्ताक्षर इमेज प्रदर्शित की जाएगी।

(vii) सं.लो.से.आ. की आवश्यकता के अनुसार स्क्रीन पर द्विभाषी रूप में प्रश्न पत्र प्रदर्शित करना।

(viii) वेंडर अपने डेटा सेंटर में एक सुरक्षित और एन्क्रिप्टेड तरीके से पूर्ण रेस्पोंस डाटा और उपस्थिति डाटा को एकत्रित करने के लिए जिम्मेदार होगा, जिसे सं.लो.से.आ. की आवश्यकता/प्रारूप के अनुसार परीक्षण/परीक्षा के समापन के तुरंत बाद सं.लो.से.आ. के साथ साझा किया जाएगा।

(ix) जब भी आवश्यक हो अनुमोदित प्रारूप में सं.लो.से.आ. के सलाहानुसार प्रत्येक परीक्षा के समापन के बाद सारांश रिपोर्ट उम्मीदवारों को ई-मेल के माध्यम से प्रदान की जानी चाहिए।

(x) वेंडर ठीक ढंग से काम करने की स्थिति में उपकरणों की व्यवस्था के लिए जिम्मेदार होगा और पारस्परिक रूप से सहमत होने पर परीक्षण/परीक्षा के दिन के लिए पर्याप्त संख्या में प्रशिक्षित कर्मियों को तैनात करना होगा।

(xi) बोलियों से उत्पन्न होने वाले सभी कानूनी विवाद, यदि कोई हों, केवल दिल्ली के न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अधीन होंगे।

(xii) यदि कोई परीक्षण/परीक्षा एक से अधिक सत्रों में आयोजित की जाती है, तो भुगतान सत्र की संख्या से गुणा करके उम्मीदवारों को जारी किए गए प्रवेश पत्र के आधार पर किया जाएगा।

(xiii) वेंडर या वेंडर के संबंधित डिवीजन को किसी अन्य फर्म द्वारा अधिग्रहित/खरीदे जाने की स्थिति में, समझौते के तहत सभी दायित्व और निष्पादन जिम्मेदारियां नई फर्म को हस्तांतरित हो जाएंगी।

(xiv) वेंडर को सं.लो.से.आ. द्वारा निर्धारित उम्मीदवारों की न्यूनतम संख्या के अनुसार सभी केंद्रों पर सीबीआरटी/परीक्षा की व्यवस्था करनी होगी।

(xv) वेंडर कार्य क्षेत्र सहित एनआईटी के निबंधन एवं शर्तों के अनुसार सख्ती से कार्य निष्पादित करेगा। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्त निदेशक (आईएस) या कोई अन्य अधिकारी संघ लोक सेवा आयोग की ओर से वेंडर द्वारा अपेक्षित समन्वय और आवश्यक सहायता, यदि कोई हो, के लिए नोडल अधिकारी होगा।

(xvi) परीक्षा के दौरान कदाचार/धोखाधड़ी को रोकने के लिए वेंडर सभी स्थानों पर आवश्यक व्यवस्था करेगा।

(xvii) वेंडर परीक्षा केंद्र में बीईएल/बीईएल प्रतिनिधियों के प्रवेश की अनुमति देगा और व्यवस्था के दिन और परीक्षा के दिन जैमर स्थापित करने के लिए बीईएल/बीईएल प्रतिनिधियों को आवश्यक सहायता प्रदान करेगा।

(xviii) आयोग द्वारा आयोजित अन्य पेन और पेपर मोड परीक्षा में अपनाई जाने वाली प्रथा के अनुसार, प्रति 24 उम्मीदवारों पर 01 (एक) निरीक्षक की नियुक्ति की जाएगी। जबकि, एक कमरे/हॉल के लिए कम से कम 02 (दो) निरीक्षक होने चाहिए।

5. कार्य निष्पादन सुरक्षा राशि

(i) वेंडर को प्रत्येक प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष के लिए वार्षिक संविदा मूल्य का 10% की दर से कार्य निष्पादन सुरक्षा राशि प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा। प्रत्येक वर्ष के लिए कार्य निष्पादन सुरक्षा राशि प्रत्येक तीन वर्षों के शुरू होने पर प्रस्तुत करना होगा। प्रथम तथा द्वितीय वर्ष के लिए कार्य निष्पादन सुरक्षा राशि की वैधता 15 माह की अवधि के लिए होगी। तृतीय वर्ष के लिए कार्य निष्पादन सुरक्षा राशि वारंटी बाध्यताएं, यदि कोई हो सहित संविदात्मक बाध्यताओं के पूर्ण होने के नब्बे दिनों तक वैध रहेगी। कार्य निष्पादन सुरक्षा राशि डिमांड ड्राफ्ट/ पे आर्डर/ बैंक गारंटी के रूप में सचिव, संघ लोक सेवा आयोग के पक्ष में दिल्ली में देय हो, के रूप में होगी। प्रत्येक तीन वर्षों के लिए कार्य के संतोषजनक रूप से पूरा होने तक संघ लोक सेवा आयोग द्वारा कार्य निष्पादन सुरक्षा राशि को रखा जाएगा।

(ii) यह स्पष्ट रूप से ज्ञात होना चाहिए कि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित समय सीमा तथा कार्य के क्षेत्र के अनुसार कार्य के पूर्ण न होने की स्थिति में कार्य निष्पादन सुरक्षा राशि जब्त की जा सकती है। यह निर्धारित क्षति/शास्ति यदि कोई हो, के अतिरिक्त होगा जिसे जैसा कि निबंधन एवं शर्तों में विनिर्दिष्ट रूप में लगाई जा सकती है। कार्य निष्पादन सुरक्षा राशि की प्राप्ति पर धरोहर जमा राशि वापस कर दी जाएगी। किसी भी परिस्थिति में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा कार्य निष्पादन सुरक्षा राशि पर कोई ब्याज नहीं देय होगा।

6. शुल्क

रु._____/- (_____रुपये मात्र) और अनुबंध की पूरी अवधि के दौरान प्रति उम्मीदवार प्रति सत्र लागू कर सहित।

7. भुगतान की शर्तें

(i) यदि यह एक सत्र में है तो भुगतान _____/-की दर से किया जाएगा, साथ ही उस विशेष भ.प. /परीक्षा के लिए जारी किए गए प्रवेश पत्र की संख्या के लिए लागू करों के रूप में भुगतान किया जाएगा। यदि कोई परीक्षा/परीक्षण एक से अधिक सत्रों में आयोजित की जाती है, तो भुगतान सत्र की संख्या से गुणा करके उम्मीदवारों को जारी किए गए प्रवेश पत्र के आधार पर किया जाएगा।

(ii) वेंडर द्वारा भर्ती परीक्षण/परीक्षा के सफल आयोजन तथा संघ लोक सेवा आयोग के सूचना प्रणाली स्कंध को संतोषजनक डेटा प्रदान किए जाने के उपरांत 75% भुगतान किया जाएगा।

(iii) वेंडर द्वारा डेटा के विश्लेषण, विसंगतियों में सुधार, यदि कोई हो, किए जाने तथा संघ लोक सेवा आयोग द्वारा साक्षात्कार आयोजित किए जाने के पश्चात् अंतिम परिणाम घोषित करने के बाद 25% भुगतान किया जाएगा।

8. आयकर: विक्रेता के बिलों से स्रोत पर वसूली योग्य, जैसा लागू हो।

9. यह ध्यान में रखते हुए कि इसमें शामिल कार्य गोपनीय और संवेदनशील प्रकृति का है:-

(i) विक्रेता सं.लो.से.आ. की पूर्व अनुमति के बिना कंप्यूटर आधारित भर्ती परीक्षण/परीक्षा से संबंधित कोई भी विवरण, जो भी हो, प्रकट नहीं करेगा। विक्रेता यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक निवारक उपाय करेगा कि किसी को पता न चले कि सं.लो.से.आ. की ओर से विक्रेता द्वारा कंप्यूटर आधारित भर्ती परीक्षा/परीक्षण आयोजित की जा रही है।

(ii) वेंडर परिचालन पहलुओं का उप-अनुबंध नहीं करेगा और परीक्षा के सुरक्षित और सुचारू संचालन के लिए पूरी तरह जिम्मेदार होगा। तथापि, यदि आवश्यक हो, तो भ.प./परीक्षा से कम से कम **4** सप्ताह पहले सं.लो.से.आ. को विधिवत रूप से सूचित करते हुए कंप्यूटर हार्डवेयर और अन्य सहायक उपकरण प्राप्त करने जैसे आवश्यक बुनियादी ढांचे की व्यवस्था के लिए विक्रेता अन्य एजेंसियों के साथ गठजोड़ कर सकता है।

(iii) विक्रेता को यह सुनिश्चित करना होगा कि परीक्षा/भ.प. के आयोजन के लिए किराए पर लिया गया स्थान दो दिनों के लिए होना चाहिए अर्थात व्यवस्था के दिन और परीक्षा के आयोजन के दिन के लिए और किसी भी तीसरे पक्ष की कोई परीक्षा/परीक्षण (ऑनलाइन/ऑफलाइन) या अन्य गतिविधि दोनों दिनों के दौरान किसी भी स्थान पर निर्धारित नहीं किया जाना चाहिए।

10. **दायित्व की सीमा:**

(i) कोई भी पक्ष किसी विशेष, अप्रत्यक्ष, आकस्मिक, परिणामी (लाभ या राजस्व की हानि, डेटा की क्षति सहित), अनुकरणीय या दंडात्मक क्षतियों के लिए दूसरे के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा चाहे वह अनुबंध, क्षति या कानून के अन्य सिद्धांतों में हो, भले ही ऐसी पार्टी को इस तरह के नुकसान की संभावना के बारे में सलाह दी गई हो। इस अनुबंध से उत्पन्न या इससे संबंधित किसी भी पक्ष की कुल संचयी दायित्व उस विशेष भर्ती परीक्षण/परीक्षा के कार्य

आदेश के मूल्य से अधिक नहीं होगी। हालांकि, यह सीमा जानबूझकर कदाचार से उत्पन्न होने वाले नुकसान के लिए किसी भी दायित्व पर लागू नहीं होगी।

(ii) चयनित एजेंसी को विस्तृत कार्य क्षेत्र के बिन्दु संख्या 3 में यथा परिभाषित महत्वपूर्ण चरणों को कार्यान्वित करना अपेक्षित होगा जिसे समय सीमा के साथ प्रत्येक भर्ती परीक्षण (आरटी)/परीक्षा के लिए वेंडर को मुहैया की जाएगी। यदि वेंडर प्रत्येक भर्ती परीक्षण/परीक्षा के लिए यथा निर्दिष्ट समय सीमा का अनुपालन करने में सक्षम नहीं होता है तो इस विलंबित अवधि के लिए प्रतिदिन आधार पर उस भर्ती परीक्षण (आरटी)/परीक्षा, प्रश्न पत्र के लिए कुल भुगतान का 1% की दर से शास्ति अधिरोपित की जाएगी। तथापि उस विशेष भर्ती परीक्षण/ परीक्षा के लिए अधिकतम शास्ति कुल भुगतान का 20% तक सीमित होगा। तद्नुसार, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा अगले चरण के लिए समय में कटौती कर ली जाएगी।

11. जोखिम क्रय खंड

यदि बोली की प्रस्तुति तथा उसको विधिवत रूप से स्वीकृत किए जाने के बाद अर्थात ऑर्डर देने के बाद निविदा दस्तावेज़ की निबंधन एवं शर्तों का पालन करने और/या दिए गए निर्धारित समय सीमा के अनुसार कार्य निष्पादित करने में फर्म असफल होती हैं या किसी भी समय संविदा को छोड़ देती है तो संघ लोक सेवा आयोग को जमा धरोहर राशि को जब्त करने, फर्म द्वारा जमा की गई कार्य निष्पादन सुरक्षा राशि की जब्ती तथा फर्म के जोखिम तथा परिणाम पर अन्य फर्म से कार्य करवाने का अधिकार होगा। फर्म के बोली मूल्य तथा वैकल्पिक व्यवस्था के बीच होने वाले लागत के अंतर की वसूली अन्य प्रासंगिक प्रभारों सहित फर्म से की जाएगी। यदि संघ लोक सेवा आयोग को वैकल्पिक स्रोत से कार्य करवाने को विवश किया जाता है और उसकी लागत कम होती है तो इस मद पर मिलने वाला लाभ फर्म को नहीं दिया जाएगा।

12. अनिवार्य बाध्यता

वेंडर अपने विवेकपूर्ण नियंत्रण की सीमा के परे अपने कार्य निपटान में आने वाली बाधाओं जिसमें प्राकृतिक आपदाओं सहित युद्ध, दंगे, अवरोध, तालाबंदी, किसी सरकारी प्राधिकरण की कार्रवाई, लाइसेंस प्राप्त करने में हुई देरी या सांविधियों के तहत आवेदन पत्रों की अस्वीकृति, विद्युत आपूर्ति, बाधा, दुर्घटना या विघटन, आग या बाढ़ भी शामिल है, या ऐसे कारणों से पैदा होने वाले किसी प्रभाव जिनमें वेंडर का दुराशय प्रकट न होता हो, के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा। वेंडर जिनके लिए अनिवार्य बाध्यता की शर्तो के लिए इस संविदा मूल्य के अंतर्गत दायित्वों को पूरा करना संभव नहीं तो उन्हें तत्काल उर्पयुक्त परिस्थितियों की शुरूआत तथा अंत के संबंध में लिखित रूप में आयोग को अधिसूचित करना होगा लेकिन किसी भी स्थिति में उस अवधि के शुरू होने से 10 (दस) दिन से अधिक नहीं होना चाहिए।

13. मध्यस्थता

संघ लोक सेवा आयोग तथा वेंडर के बीच पैदा होने वाले किसी विवाद या मतभेद जो किसी परिणाम, उद्देश्य तथा प्रक्रिया या इस संविदा पर पड़ने वाले प्रभाव या संविदा भंग होने की स्थिति में विवाद का

निपटान मध्यस्थता तथा समाधान अधिनियम, 1996 के उपबंधों के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्त मध्यस्थ द्वारा किया जाएगा और उसका निर्णय संघ लोक सेवा आयोग तथा वेंडर दोनों पर बाध्यकारी होगा। मध्यस्थता का स्थल दिल्ली होगा।

14. क्षेत्राधिकार

मध्यस्थता के अध्यधीन उपर्युक्त के अलावा इस करार के कारण कोई वाद या कार्रवाई जो दोनों पक्षों में से किसी के भी अधिकार का हनन करती हो, दिल्ली में ही दायर की जाएगी और उस पर केवल दिल्ली के न्यायालय में ही न्यायिक जांच होगी और अन्य किसी न्यायालय में नहीं होगी और अब दोनों पक्ष ऐसे न्यायालय के क्षेत्राधिकार को स्वीकार करने के प्रति स्वेच्छा से सहमत होंगे।

15. समाप्ति खंड: संघ लोक सेवा आयोग संविदा की अवधि के दौरान किसी भी समय करार/ संविदा को बिना कोई कारण बताएं वेंडर को एक माह का नोटिस देकर संविदा को समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। सचिव, संघ लोक सेवा आयोग का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

16. विस्तार खंड: यदि, आयोग द्वारा निर्णय लिया जाता है तो संविदा की अवधि को मौजूदा निबंधन एवं शर्तों पर तीसरे वर्ष की दरों पर एक वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है।

17. फॉल क्लॉज: निम्नलिखित फॉल क्लॉज वेंडर पर संविदा का एक हिस्सा होगी:-

(क) वेंडर द्वारा संविदा के अंतर्गत दी जाने वाली सेवा के लिए वसूली गई कीमत उस अवधि के दौरान जब तक कार्य पूरा नहीं हो जाता है या संविदा की दर के चलते सारा कार्य आदेश पूरा नहीं हो जाता है उस न्यूनतम मूल्य से अधिक नहीं होनी चाहिए जिस पर वह वेंडर बिल्कुल उसी स्तर की सेवा देने [अर्थात इस दस्तावेज़ के अनुबंध-I में यथावर्णित मूल क्षेत्र/कार्य के विवरण के अनुपालन हेतु सेवाएं] किसी अन्य व्यक्ति/संगठन जिसमें क्रेता या केन्द्र सरकार या राज्य सरकार का कोई विभाग या केन्द्र या राज्य सरकार के अंतर्गत कोई सांविधिक उपक्रम, जो भी स्थिति हो, को उपलब्ध कराने का प्रस्ताव करता है।

(ख) यदि किसी भी समय, उक्त अवधि के दौरान वेंडर अपना विक्रय मूल्य कम करता है कम मूल्य पर अपनी उक्त सेवा किसी व्यक्ति/संगठन तथा क्रेता या केन्द्र सरकार के किसी विभाग या सरकार के अंतर्गत किसी सांविधिक उपक्रम को संविदा के अंतर्गत प्रभार्य दरों से कम मूल्य पर सेवाएं प्रदान करता है या प्रदान करने का प्रस्ताव करता है तो वह विक्रय में या विक्रय के प्रस्ताव में इस प्रकार की कटौती के बारे में, संघ लोक सेवा आयोग को सूचित करेगा और सेवाओं के लिए विक्रय या विक्रय के प्रस्ताव में इस प्रकार की कमी वाली संविदा के अंतर्गत भुगतान की जाने वाली कीमत में तदनुसार कटौती की जाएगी। उपर्युक्त शर्तें निम्न पर लागू नहीं होगी:-

(i) विक्रेता द्वारा किए गए निर्यात पर।

(ii) मौजूदा अथवा पूर्व दर संविदा के तहत केन्द्र अथवा राज्य सरकार के विभागों और उनके उपक्रमों सहित जिनमें संयुक्त क्षेत्र की कंपनियां और/ अथवा निजी पार्टियों और निकाय शामिल नहीं है, के साथ की गई पूर्व की किन्ही संविदाओं के अधीन संबद्ध प्राधिकारी द्वारा

जारी करने की तारीख के दिन अथवा इसके पश्चात् सेवा मुहैया करना अथवा संविदा संबंधी आदेश प्रदान करना।

(ग) वेंडर को संविदा दर के अनुसार की गई सेवा के प्रत्येक बिल के भुगतान के लिए उसके साथ निम्नलिखित प्रमाण पत्र भुगतान अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा - " हम प्रमाणित करते है कि इस संविदा के अंतर्गत सरकार को प्रदान की जा रही ऐसी सेवाएं और उसी प्रकार की समरूप सेवाओं के लिए बिक्री मूल्य में कोई कटौती नहीं की गई है [अर्थात इस दस्तावेज के अनुबंध-I में यथा वर्णित मूल क्षेत्र/कार्य के विवरण के अनुपालन हेतु सेवाएं] मेरे/हमारे द्वारा किसी व्यक्ति/संगठन क्रेता सहित या केन्द्र सरकार के किसी विभाग या राज्य सरकार के किसी विभाग या केन्द्/राज्य सरकार के अंतर्गत किसी सांविधिक उपक्रम जो भी स्थिति हो, बिल की तारीख तक/इस संविदा दर के तहत दिए गए सभी आपूर्ति आदेशों को पूरा करने तक, सरकार से वसूली गई दर से कम कीमत पर इस प्रकार की सेवा का प्रस्ताव/बिक्री नहीं की गई है।"

18. **अभ्यावेदन और वारंटी**

वेंडर वारंटी देता है कि उसके पास निविदा के तहत अपने दायित्वों को प्रभावी ढंग से और कुशलता से निर्वहन करने की क्षमता और दक्षता है और यह कि सेवाएं एक कुशल एवं कामगार तरीके से प्रदान की जाएंगी। इसके अलावा, वेंडर वारंटी देता है कि यह विधिवत रूप से संगठित और वैध रूप से विद्यमान है और इसके निगमन या गठन की स्थिति के कानूनों के तहत अच्छी स्थिति में है और इसके पास इस अनुबंधन में प्रवेश करने का पूरा अधिकार है जो एक कानूनी, वैध और बाध्यकारी दायित्व स्थापित करता है। ऊपर निर्धारित को छोड़कर, वेंडर ग्राहक अभिव्यक्ति या निहित पर कोई वारंटी नही देता है। जिसमें बिना किसी सीमा के, किसी विशेष उद्देश्य के लिए व्यापारिकता या फिटनेस की कोई निहित वारंटी शामिल है।

इसके साक्ष्य में, पार्टियों ने अपने प्राधिकृत प्रतिनिधियों के माध्यम से इस समझौते पर पहले उल्लिखित दिन, महीने, वर्ष और स्थान पर नीचे उल्लिखित गवाहों की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए हैं।

की उपस्थिति में हस्ताक्षरित, मुहरबंद और वितरित किया गया :

1. सं.लो.से.आ. के प्रतिनिधि सं.लो.से.आ. के लिए और उसकी ओर से साक्षी

2. वेंडर का प्रतिनिधि वेंडर के लिए और उसकी ओर से साक्षी

अनुबंध-I (करार का)

कार्य का विस्तृत क्षेत्र

संघ लोक सेवा आयोग नीचे सूचीबद्ध किए गए कुछ या सभी 72 शहरों में आयोग द्वारा यथा निर्णित मामला दर मामला आधार पर कम्प्यूटर आधारित भर्ती परीक्षण (सी बी आर टी)/परीक्षाओं के आयोजन पर विचार कर रहा है। उपर्युक्त परीक्षण के आवेदक कम्प्यूटर शिक्षित होगें। ऐसे शहरों में परीक्षण का आयोजन इंट्रानेट/ लैन वातावरण के अंतर्गत होंगे।

क्र.सं.	केन्द्र का नाम	क्र.सं.	केन्द्र का नाम	क्र.सं.	केन्द्र का नाम
1.	अगरतला	25.	गया	49.	नवी मुम्बई
2.	आगरा	26.	गाजियाबाद	50.	पणजी (गोवा)
3.	अहमदाबाद	27.	गोरखपुर	51.	पटना
4.	आईजोल	28.	गुडगांव	52.	पांडिचेरी
5.	अजमेर	29.	ग्वालियर	53.	पोर्टब्लेयर
6.	अलीगढ़	30.	हैदराबाद	54.	पुणे
7.	इलाहाबाद	31.	इम्फाल	55.	रायपुर
8.	अनन्तपुरम	32.	इन्दौर	56.	राजकोट
9.	औरांगाबाद	33.	ईटानगर	57.	रांची
10.	बंगलौर	34.	जबलपुर	58.	सम्बलपुर
11.	बरेली	35.	जयपुर	59.	शिलांग
12.	भोपाल	36.	जम्मू	60.	शिमला
13.	बिलासपुर	37.	जोधपुर	61.	सिलिगुड़ी
14.	चंडीगढ़	38.	जोरहाट	62.	श्रीनगर
15.	चेन्नई	39.	कोची (कोचीन)	63.	थाणे
16.	कोयम्बटूर	40.	कोहिमा	64.	तिरूवन्नतपुरम
17.	कटक	41.	कोलकाता	65.	तिरूचिरापल्ली
18.	देहरादून	42.	कोझिकोड	66.	तिरूपति
19.	दिल्ली	43.	लखनऊ	67.	उदयपुर
20.	धारवाड़	44.	लुधियाना	68.	वाराणसी
21.	दिसपुर (गुवहाटी)	45.	मदुरै	69.	वेल्लोर
22.	फरीदाबाद	46.	मुम्बई	70.	विजयवाड़ा
23.	गंगटोक	47.	मैसूर	71.	विशाखापटनम
24.	गौतमबुद्ध नगर	48.	नागपुर	72.	वारंगल

नोट:- उपर्युक्त परीक्षण केन्द्रों की संख्या सूचनात्मक हैं। तथापि, आयोग के उम्मीदवारों की संख्या पर आधारित परीक्षण केन्द्रों की संख्या में अन्तर हो सकता है।

कम्प्यूटर आधारित भर्ती परीक्षण/परीक्षा संबंधी कार्यवाही को निम्नलिखित मॉडयूल में बांटा जाएगा:-

1. **परीक्षा-पूर्व कार्यकलाप:** आयोग द्वारा निम्नलिखित कार्यकलाप कार्यान्वित किए जाएंगे और प्रवेश

पत्र/ई-प्रवेश पत्र तथा प्रवेशित उम्मीदवारों के केन्द्र-वार/स्थल-वार विवरणी की केवल नमूना प्रति और फोटोग्राफ तथा हस्ताक्षर की सॉफ्ट प्रति को परीक्षण के आयोजन के लिए अपेक्षित प्रारूप में एजेंसी को उपलब्ध कराया जाएगा:

i. आवेदन पत्रों को प्राप्त करना।
ii. केंद्र-वार विवरणी तैयार करना।
iii. आवेदन पत्रों की संवीक्षा।
iv. उन केन्द्रों (शहरों/स्थल) के संबंध में निर्णय लेना जहां सी.बी.आर.टी./परीक्षा आयोजित किए जाएंगे।
v. अनुक्रमांक आबंटित करना।
vi. ई-प्रवेश पत्रों की अपलोडिंग।

सभी परीक्षा-पूर्व कार्यकलाप आयोग द्वारा कार्यान्वित किए जाएंगे। उपर्युक्त 'घ' के संबंध में उन केंद्रों के लिए परीक्षण/परीक्षा स्थलों का निर्णय लेना जहां परीक्षा आयोजित की जानी है, जिसे केंद्र-वार विवरणी के आधार पर आयोग द्वारा परिभाषित एसओपी (मानक प्रचालन प्रक्रियाओं) में विनिर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर एजेंसी द्वारा किया जाना है।

2. **परीक्षा का आयोजन:** चुनी गई एजेंसी द्वारा निम्नलिखित कार्यकलाप किए जाएंगे और वह कम्प्यूटरों का प्रयोग करते हुए भर्ती परीक्षण के सुचारू एवं निर्बाध आयोजन के लिए उत्तरदायी होगी।

i. उपर्युक्त पैरा-1 में वर्णित केंद्रों के अंतर्गत निर्णय लिए गए विशिष्ट परीक्षण/ परीक्षा स्थलों जो उम्मीदवारों के ब्रेकअप पर निर्भर करेगा। तथापि परीक्षण स्थल/ उपकेंद्र का चयन करने का अंतिम निर्णय आयोग का होगा।
ii. एजेंसी को उम्मीदवार की अधिकतम क्षमता मुहैया कराना अपेक्षित होगा जिसके लिए वे पैरा-I में वर्णित केंद्रों पर परीक्षा का आयोजन कर सके।
iii. हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर सहित पूर्ण आधारभूत संरचना उपलब्ध कराना।
iv. प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर इंट्रानेट आधारित समाधान द्वारा परीक्षा प्रक्रिया का प्रबंध करना।
v. परीक्षा केंद्र पर परीक्षा के लिए शामिल होने वाले उम्मीदवारों को अपेक्षित अनुदेश/सूचना प्रदान करने के लिए अपेक्षित डिस्प्ले कार्ड की व्यवस्था/मुहैया करना।
vi. डिस्प्ले में विशेष लैब/स्थान पर कितने उम्मीदवार बैठे हैं, शामिल होने चाहिए।
vii. परीक्षण/परीक्षा स्थलों के अंदर सुस्पष्ट डेटा सुरक्षा, डेटा अंतरण एवं वास्तवकि सुरक्षा सुनिश्चित करना। अद्यतन डेटा या डेटाबेस सर्वर पर स्पेस का अधिकार साईट पर्यवेक्षक के पास उपलब्ध नहीं होने चाहिए।
viii. प्रत्येक स्थल पर स्वचालित एवं त्रुटिरहित फेलसेफ पूर्ण बैक अप सहित पूर्ण यूपीएस सुविधा सुनिश्चित करना।
ix. सर्वर रूम में वातानुकूलन की सुविधा तथा समस्त लैब में समुचित कुलिंग सुविधा खासकर एसी मुहैया कराया जाना है।
x. इंटरनेट सुविधा जैसे लीज लाइन/ब्राडबैंड/डाटाकार्ड जो कम से कम दो विभिन्न सेवा प्रदाता से होने चाहिए, मुहैया कराना।
xi. त्रुटि रहित (फेलसेफ) और सुरक्षित लैन अधिष्ठापित करना जो प्रत्येक स्थल में आस-पास के क्षेत्र के अन्य कम्प्यूटरों से युक्त हो और लैन उपस्कर तथा संसाधनों के पर्याप्त बैक-अप के साथ हो।

xii. प्रत्येक स्थल पर सभी साफ्टवेयर सहित कलस्टर मोड/हॉट स्वपेवल मोड में बैक अप सर्वर मुहैया कराना और इसे आवश्यकता की स्थिति में प्रयोग के लिए तैयार रखना।

xiii. भर्ती परीक्षण से एक दिन पहले आयोग के प्रतिनिधि की उपस्थिति में पूर्ण एवं व्यापक मॉक ड्रिल की जानी सुनिश्चित करना तथा इस आशय का परीक्षण के सफल आयोजन का प्रमाणपत्र प्रदान करना कि लेन संयोजकता सहित पूर्ण हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर बिना किसी तकनीकी व्यवधान एवं बग्स के संतोषजनक ढंग से काम कर रहा है और एसी, पावर बैकअप आदि सहति सभी बैकअप सुविधाएं सुव्यवस्थित हैं।

xiv. परीक्षण के दौरान यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्युत्तर के लिए अपेक्षित सॉफ्टवेयर को छोड़कर उपलब्ध की-बोर्ड एवं अन्य हार्डवेयर जैसे पोर्ट, सीडी/ डीवीडी आदि को निष्क्रिय कर दिए गए हैं।

xv. यह सुनिश्चित करना कि बैकअप सहित सभी टर्मिनल और सर्वर वायरस मुक्त/उचित रूप से सुरक्षित होंगे और के शुरू होने के पहले इस आशय का एक प्रमाणपत्र देना होगा।

xvi. आयोग द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार भर्ती परीक्षण के प्रारंभ से पर्याप्त समय पहले भर्ती परीक्षण के लिए उपस्थित होने वाले प्रत्येक उम्मीदवार का एकदम सही पंजीकरण सुनिश्चित करना। पंजीकरण के समय वेबकैम पर लिए गए उम्मीदवार के फोटोग्राफ का उस फोटोग्राफ़ से मिलान करना चाहिए जो उम्मीदवार साथ लेकर आया है तथा उसकी बायोमीट्रिक सूचना ली जानी चाहिए, जिसे आयोग द्वारा भविष्य में इस्तेमाल के लिए सुरक्षित कर लेना चाहिए।

xvii. जिस टर्मिनल नंबर पर उम्मीदवार को भर्ती परीक्षण/परीक्षा देना होगा, वह पंजीकरण के समय यादृच्छिक आधार पर आबंटित किया जाएगा।

xviii. सुरक्षित माहौल के अंतर्गत आयोग से प्राप्त प्रश्न पत्रों को सुरक्षित रूप से संस्थापित एवं लागू करना।

xix. पर्याप्त पासवर्ड सुरक्षा के अंतर्गत इंक्रिप्टेड मोड के माध्यम से संवेदनशील आंकड़ों का सुरक्षित रखना एवं अंतरण एक सुरक्षित पासवर्ड के अंतर्गत सुनिश्चित करना। इन आंकड़ों का रख-रखाव आयोग द्वारा विशेष रूप से प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ही की जाए।

xx. आयोग द्वारा निर्धारित किए गए समय-सारणी के अनुसार पूर्ण रूप से संवेदनशील आंकड़े के अंतरण को कार्यान्वित करना।

xxi. आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रत्येक स्थान में सी.बी.आर.टी./परीक्षा के आयोजन के लिए पर्यवेक्षण, निरीक्षण और तकनीकी प्रचालन के लिए संबंधित एजेंसी जिम्मेदार होगी। तथापि, आयोग प्रत्येक स्थान में अपने प्रतिनिधि यह देखने एवं मॉनीटर करने के लिए नियुक्त कर सकता है कि भर्ती परीक्षण का आयोजन सुचारू एवं निष्पक्षता से हो।

xxii. आयोग की निम्नलिखित अपेक्षानुसार निरीक्षक, तकनीकी स्टाफ, पर्यवेक्षक तथा अन्य स्टॉफ मुहैया कराना :

क्रम सं.	तकनीकी/गैर- तकनीकी स्टाफ	अपेक्षित स्टॉफ
1.	निरीक्षक	लैब/कमरे में न्यूनतम दो के साथ 24 उम्मीदवारों

		के लिए दो।
2.	स्थल पर्यवेक्षक	एक
3.	सहायक पर्यवेक्षक	प्रति स्थल दो

xxiii. आयोग द्वारा निर्धारित प्रपत्र में समुचित समय पर भर्ती परीक्षण/परीक्षा से संबंधित सभी कार्मिकों को यह प्रमाणित करना होगा कि कोई भी उनका नजदीकी रिश्तेदार उपर्युक्त परीक्षा में शामिल नहीं हो रहा है।

xxiv. प्रतिरूपण की जांच के लिए एजेंसी को परीक्षा अवधि के दौरान टर्मिनल की स्क्रीन पर फोटो सहित उम्मीदवार के वैयक्तिक विवरण जैसे अनुक्रमांक एवं नाम मुहैया कराना होगा।

xxv. उम्मीदवारों के गतिविधियों की लगातार निगरानी एवं रिकार्डिंग के लिए एजेंसी को प्रत्येक स्थल पर समुचित संख्या में वेब-कैम स्थापित करने की व्यवस्था करनी होगी ताकि परीक्षण/परीक्षा के दौरान लैब में सभी उम्मीदवारों के गतिविधियों की रिकार्डिंग को पूरी तरह से कवर किया जा सके। एजेंसी को भर्ती परीक्षण/परीक्षा की समाप्ति के बाद सभी रिकार्डिंग आयोग को मुहैया करानी होगी।

xxvi. एजेंसी को मॉनिटरिंग कंसोल पर सभी स्थलों की परीक्षा से संबंधित कार्यकलापों की निगरानी एवं पर्यवेक्षण के लिए संघ लोक सेवा आयोग के नियंत्रण कक्ष में प्रबंध करना होगा।

xxvii. जब भी आवश्यक हो केंद्र पर आयोग की अपेक्षानुसार शारीरिक रूप से दिव्यांग उम्मीदवारों (अस्थि विकलांगता, दृष्टि बाधित या श्रवण बाधित) की व्यवस्था के लिए एजेंसी उत्तरदायी होगी। तथापि, जहां इस सुविधा की आवश्यकता है, एजेंसी को अग्रिम रूप से सूचित कर दिया जाएगा। तथापि, फर्म को प्रत्येक केन्द्र पर निम्नलिखित सुविधाओं के साथ कम से कम एक शारीरिक दिव्यांग फ्रेंडली स्थल निर्दिष्ट करना होगा:-

क) वरीयता भू-तल पर दिव्यांग अनुरूप माहौल सहित प्रत्येक केन्द्र पर शारीरिक रूप से दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए स्थल मुहैया कराना।
ख) शहरों के सभी भाग एक दूसरे से जुड़े हों जिससे आसानी से पहुंचा जा सके।
ग) पहुंचने की सुविधा एस.ए. हैड रेल, लो फ्लोर सीढी सहित रैम्प।
घ) समुचित सूचक चिन्ह।
ङ) स्वच्छ शौचालय की उपलब्धता।
च) व्हील चेयर की सुविधा।

xxviii. परीक्षा की प्रक्रिया के दौरान सभी उम्मीदवारों की सभी कार्यकलापों का ऑडिट ट्रेल का रख-रखाव करना तथा परीक्षा की समाप्ति के 5 कार्य दिवसों के भीतर आयोग को उक्त सामग्री पठनीय रूप में मुहैया कराना होगा।

3. **सी.बी.आर.टी./परीक्षा के विभिन्न महत्वपूर्ण चरण:-**

i. संघ लोक सेवा आयोग को ऑन-लाइन भर्ती परीक्षण के आयोजन के लिए जो केन्द्र-वार सूची पर आधारित होगा, वेंडर द्वारा स्थलों की अंतिम सूची मुहैया कराना।

ii. वेंडर द्वारा संबंधित भर्ती परीक्षण के लिए प्रोसेस मैन्युअल तथा आयोजित की जाने वाली भर्ती परीक्षण के लिए डेमो टेस्ट फाइल मुहैया कराना।

iii. वेंडर द्वारा अपेक्षित प्रारूप में भर्ती परीक्षण की समाप्ति के बाद परीक्षा डेटा अंतरित करना।

iv. वेंडर द्वारा साक्षात्कार के समय बायो-मैट्रिक व्यवस्था के माध्यम से उम्मीदवारों का सत्यापन करना।

4. प्रश्न पत्रों को तैयार करना एवं उनका प्रेषण:

प्रश्न बैंक एवं उनके प्रेषण से संबंधित सभी कार्यकलाप आयोग द्वारा निष्पादित किए जाएंगे। एजेंसी को नीचे दिए गए विवरण के अनुसार उपयुक्त समय पर शामिल किया जाएगा:-

i. आयोग के परामर्श से निर्धारित योजना के अनुसार एजेंसी प्रक्रिया, आधारभूत संरचना, सर्वरों, नेटवर्क, वीपीएन कनेक्शनों की पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे।

ii. एजेंसी को परीक्षा-पूर्व एवं पश्चात् कार्यकलापों के लिए आयोग द्वारा निर्धारित मानक प्रचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) का अनुपालन करना होगा।

iii. एजेंसी प्रश्न पत्रों का आथरिंग टूल प्रदान करेगा जो 256 बिट एन्कृप्शन सहित प्रश्न पत्रों की शुरू से लेकर अंत तक सुरक्षा सुनिश्चित करेगा।

iv. प्रश्न-बैंक तैयार करने का उत्तरदायित्व आयोग के पास रहेगा।

v. एजेंसी, प्रश्न पत्रों को तैयार करने के लिए प्रारूप सहित यूजर फ्रेंडली सॉफ्टवेयर एवं क्रियाविधि प्रदान करने के लिए जिम्मेदार होगी। यह सॉफ्टवेयर, एजेंसी को सिक्योर्ड कम्प्यूटर सिस्टम/सर्वर में संस्थापित करना होगा जिसे आयोग के कार्यालय में सुरक्षित रखा जाएगा। यदि अपेक्षित हो, तो एजेंसी को प्रश्न पत्रों के रख-रखाव के संबंध में डमी ड्रिल द्वारा उपयुक्त प्रशिक्षण देना होगा। यह कार्य आयोग द्वारा प्रश्न-पत्र बनाने से पर्याप्त समय पहले पूरा करना होगा।

vi. उम्मीदवारों को दिए जाने वाले प्रश्न पत्र में उत्तर विकल्प के साथ-साथ प्रश्नों को परिवर्तित करने की सुविधा साफ्टवेयर में होनी चाहिए ताकि दो उम्मीदवारों को एक ही प्रश्न के सेट नहीं मिल पाएं।

vii. प्र.-पैक के अंतरण और उम्मीदवारों को इसके वितरण के तौर-तरीके का निर्धारण आयोग द्वारा निर्दिष्ट प्रक्रियानुसार चयनित एजेंसी द्वारा किया जाएगा।

viii. प्रत्येक भर्ती परीक्षण/परीक्षा के आयोजन से पहले 25 दिनों के भीतर वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए संगत सी.बी.आर.टी./परीक्षा के लिए डीईएमओ फाइल (मॉक टेस्ट) द्विभाषी रूप या अंग्रेजी में, जैसी स्थिति हो, एजेंसी को मुहैया करानी होगी। मॉक टेस्ट आयोजित किए जाने वाले भर्ती परीक्षण/परीक्षा के टेम्प्लेट तथा आयोग की अपेक्षाओं के अनुरूप होनी चाहिए।

ix. एजेंसी को निरीक्षण अधिकारी के प्रयोग हेतु भर्ती परीक्षण/परीक्षा की तारीख से 15 दिनों के भीतर संगत सी.बी.आर.टी./परीक्षा की विस्तृत प्रोसेस मैन्युअल मुहैया करनी होगी।

5. परीक्षा के बाद की कार्यवाही:

i. जैसे ही भर्ती परीक्षा समाप्त होता है, एजेंसी को समुचित 'लॉग फाइलों' (पठनीय प्रारूप में) सहित समग्र आंकड़ों को सुरक्षित पासवर्ड के जरिए इंक्रिप्टेड रूप में कंट्रोल रूम में अंतरित करने की व्यवस्था करनी होगी।

ii. एजेंसी तब आयोग द्वारा अपेक्षित तथा परस्पर निर्णय के आधार पर रिपोर्ट तैयार करेगी। रॉ स्कोरिंग एजेंसी द्वारा तैयार की जाएगी जो उत्तर कुंजी पर आधारित होगी जिसे परीक्षा की समाप्ति के पश्चात आयोग द्वारा प्रदान किया जाएगा।

iii. एजेंसी द्वारा ऊपर उल्लिखित रिपोर्ट सहित समग्र आंकड़े उसी दिन 'सिक्योर्ड मोड' में आयोग को अंतरित करनी होगी।

iv. एजेंसी परीक्षण की समाप्ति के दो दिन के भीतर आयोग को वर्तमान उपस्थित उम्मीदवारों की सूची सहित पंजीकरण विवरण भी अंतरित करेगा।

v. आयोग आगे परीक्षा के उपरान्त कार्यवाही अर्थात् परिणाम की घोषणा के लिए उत्तरदायी होंगे।

vi. एजेंसी, यदि अपेक्षित हो तो प्रत्येक उम्मीदवार के द्वारा प्रयास किए गए प्रत्युत्तर सहित परीक्षा के प्रश्न-पत्रों के ई-मेलिंग के लिए सॉफ्टवेयर/सुविधा मुहैया कराएगी।

vii. तात्कालिक आधार पर परिणाम की प्रोसेसिंग करते समय आयोग द्वारा कोई विसंगति नज़र आती है, तो एजेंसी उसका समाधान करेगी।

टिप्पणी:-

1. प्रत्येक परीक्षण/परीक्षा आयोजित किए जाने के पश्चात् संघ लोक सेवा आयोग को संगत डाटा तथा आरटीआई, आदि के रख-रखाव के समर्थन के लिए एजेंसी रिकार्ड में लिए गए दस्तावेजी इनपुट भी मुहैया कराएगी।

2. आयोग को दी जाने वाली टेस्ट डेटा सहित टेस्ट रन की पूर्ण प्रणाली, इसे लागू करने से पहले एजेंसी कार्यान्वित/प्रदर्शित करेगी।

3. एजेंसी को आवेदन पत्रों में कालक्रमानुसार जेनरेट होने वाली समस्त त्रुटियों, चेतावनियों और अपवादों को नियंत्रित करने हेतु एप्लीकेशन/सर्वर लॉग्स को भी डिमोंस्ट्रेट करने में सक्षम होना चाहिए।

अनुबंध-I क

ऑन-लाइन परीक्षा केन्द्रों की सूची

क्रम सं.	शहर का नाम	क्रम सं.	शहर का नाम
1.	अहमदाबाद	22.	जम्मू
2.	इलाहाबाद	23.	चंडीगढ़ / मोहाली
3.	बैंगलूरू	24.	पणजी
4.	भोपाल	25.	पोर्टब्लेयर
5.	मुम्बई	26.	धारवाड़
6.	कोलकाता	27.	मदुरै
7.	कटक	28.	रांची
8.	दिल्ली	29.	गंगटोक
9.	दिसपुर/ गुवाहाटी	30.	कोहिमा
10.	हैदराबाद	31.	इम्फाल
11.	जयपुर	32.	अगरतला
12.	चेन्नई	33.	जोरहाट
13.	नागपुर	34.	आईजोल
14.	देहरादून	35.	ईटानगर
15.	पटना	36.	रायपुर
16.	शिलांग	37.	तिरूपति
17.	शिमला	38.	विशाखापटनम
18.	श्रीनगर	39.	उदयपुर
19.	तिरूवनन्तपुरम	40.	सम्बलपुर
20.	एर्नाकुलम	41.	बरेली
21.	लखनऊ		

अनुबंध-VI

चेकलिस्ट

क्र. स.	विवरण	क्या संलग्न की गई/ नहीं	पृष्ठ सं.
1.	क्या 80,00,000/- रू. की जमा धरोहर राशि संलग्न की गई है	हां/नहीं	
2.	क्या पैन कार्ड/सेवा कर पंजीकरण प्रमाणपत्र की प्रति संलग्न है	हां/नहीं	
3.	क्या पूर्ववर्ती तीन वर्षों अर्थात वर्ष 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 की आय कर विवरणी की प्रति संलग्न है	हां/नहीं	
4.	क्या पूर्ववर्ती तीन वर्षों अर्थात वर्ष 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 की लेखा परीक्षा की गई लाभ तथा हानि खाता की प्रतियां संलग्न की गई है।	हां/नहीं	
5.	क्या पूर्ववर्ती तीन वर्षों अर्थात वर्ष 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 की लेखा परीक्षा की गई बेलैंस शीट की प्रतियां संलग्न की गई है।	हां/नहीं	
6.	क्या चार्टर्ड लेखाकार (सीए) से प्राप्त प्रमाणपत्र जिसमें यह उल्लेख किया गया हो कि " विगत तीन वित्तीय वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के लिए फर्म का वार्षिक कारोबार केवल ऑन-लाइन/कम्प्यूटर -आधारित/ऑन-लाइन भर्ती परीक्षा से संबंधित तथा इसमें अन्य स्रोतों से प्राप्त आय शामिल नहीं है" , को संलग्न किया गया है।		

7.	क्या कंपनी के निगमन प्रमाण पत्र संलग्न किए गए है।	हां/नहीं	
8.	क्या विगत पांच वर्षों के दौरान बोलीदाता द्वारा आयोजित की गई सीबीआरटी/परीक्षा से संबंधित क्रय आदेश और/या सम्पूर्णता प्रमाणपत्र की प्रतियां संलग्न की गई है।	हां/नहीं	
9.	क्या खंड 9 द्वारा यथा अपेक्षित दस्तावेज़ी साक्ष्य संलग्न किए गए है।	हां/नहीं	
10.	क्या आई एस ओ 9001 तथा आई एस ओ 27001 (सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली मानक) /एसटीक्यूसी प्रमाणपत्र संलग्न किए गए है।	हां/नहीं	
11.	क्या कार्य क्षेत्र के संदर्भ में अनुपालन रिपोर्ट (अनुबंध-II पर दिए गए) संलग्न की गई है।	हां/नहीं	
12.	क्या उन केंद्रों की सूची (अनुलग्नक-II क के अनुसार) संलग्न है जहां फर्म ने पिछले 05 वर्षों के दौरान सीबीआरटी का संचालन किया है,	हां/नहीं	
13.	क्या प्रमाणपत्र (अनुलग्नक-III के अनुसार) प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित संलग्न है	हां/नहीं	

14.	क्या सीबीआरटी के संचालन के लिए प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित वचनबद्धता (अनुलग्नक-III क के अनुसार) संलग्न है	हां/नहीं	
15.	क्या इस दस्तावेज़ के खंड 14 और 41 में उल्लिखित प्रमाण पत्र/दस्तावेज संलग्न हैं	हां/नहीं	
16.	क्या प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित अनुबंध की प्रति (अनुलग्नक-V के अनुसार) संलग्न है	हां/नहीं	

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
दूरभाष सं./मोबाइल सं./फैक्स सं.
सहित फर्म का नाम एवं पता

ऑन-लाइन बोली प्रस्तुत करने संबंधी अनुदेश

बोलीदाताओं को वैध डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र का प्रयोग करते हुए सी.पी.पी. पोर्टल पर इलेक्ट्रानिक माध्यम से बोलियों की सॉफ्ट प्रतियां प्रस्तुत करना अपेक्षित है। नीचे दिए गए अनुदेशों का तात्पर्य सी.पी.पी. पोर्टल पर रजिस्टर करने के लिए, अपेक्षानुसार अपनी बोलियां तैयार करने तथा सी.पी.पी. पोर्टल पर उनकी बोलियों को ऑन-लाइन प्रस्तुत करने में बोलीदाताओं की सहायता करना है।

सी.पी.पी. पोर्टल पर ऑन-लाइन बोली प्रस्तुत करने के लिए और अधिक उपयोगी जानकारी https://eprocure.gov.in/eprocure/app से प्राप्त की जा सकती है।

पंजीकरण :

1. बोलीदाताओं को सी.पी.पी. पोर्टल पर ''**ऑन-लाइन बोलीदाता एनरॉलमेंट**'' लिंक पर क्लिक करके केन्द्रीय लोक प्रापण पोर्टल (URL : https://eprocure.gov.in/eprocure/app) के ई-प्रापण मॉड्युल पर नामांकन (इनरॉल) करना अपेक्षित है जो कि नि:शुल्क हैं।

2. इनरॉलमेंट प्रक्रिया के भाग के तहत बोलीदाताओं को यूनिक यूजरनेम का चयन तथा अपने अकाउन्ट के लिए पासवर्ड नियत करना अपेक्षित होगा।

3. बोलीदाताओं को पंजीकरण प्रक्रिया के तहत अपने वैध ई-मेल आई.डी. तथा मोबाइल नं. को रजिस्टर करने की सलाह दी जाती है। इसे सीपीपी. पोर्टल से किसी भी प्रकार के संप्रेषण के लिए प्रयोग में लाया जाएगा।

4. एनरॉलमेंट हो जाने पर, बोलीदाताओं को अपने प्रोफाइल सहित सी.सी.ए. इण्डिया द्वारा मान्यता प्राप्त (अर्थात सीफी/टी.सी.एस./एनकोड/ई-मुद्रा, आदि) किसी प्रमाणिक प्राधिकरण द्वारा जारी अपने वैद्य डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र (साइनिंग कुंजी यूसेज सहित श्रेणी-II या श्रेणी-III प्रमाणपत्र) को पंजीकृत करना अपेक्षित होगा।

5. बोलीदाता द्वारा केवल एक वैध डी.एस.सी. पंजीकृत किया जाए। कृपया नोट कर लें कि बोलीदाता यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होंगे कि उन्होंने अपना डी.एस.सी. किसी अन्य व्यक्ति को नहीं दिया है, जो इसका दुरूपयोग कर सकता है।

6. बोलीदाता उसके बाद सुरक्षित लॉग-इन के माध्यम से अपना यूजर आईडी/पासवर्ड और डीएससी/ई-टोकन का पासवर्ड प्रविष्ट कर साइट पर लॉग इन करें।

निविदा दस्तावेज़ के लिए सर्च करना :

1. सी.पी.पी. पोर्टल पर विभिन्न खोज विकल्प मौजूद है, जो कई मानदंडों द्वारा सक्रिय निविदाओं की खोज हेतु बोलीदाताओं को सुविधा प्रदान की गई है। इन मानदंडों में निविदा आईडी, संगठन का नाम, अवस्थिति, तारीख, मूल्य आदि शामिल किए जा सकते हैं। निविदा की उन्नत खोज (एडवान्सड सर्च) के लिए भी विकल्प मौजूद है जिसमें बोलीदाता सीपीपी पोर्टल पर प्रकाशित निविदा की खोज के लिए कई सर्च पैरामीटरों जैसे संगठन का नाम, संविदा का फार्म, अवस्थिति, तारीख, अन्य कीवर्ड आदि संयोजित कर सकते है।

2. एक बार अपनी रूचि की निविदा का चयन करने के बाद बोलीदाता अपेक्षित दस्तावेज़/ निविदा कार्यक्रम डाउनलोड कर सकते हैं। ये निविदाएं संबंधित 'माय टेंडर' फोल्डर में ले जाई जा सकती हैं। यह सी.पी.पी. पोर्टल को निविदा दस्तावेज़ के संबंध में जारी होने वाले शुद्धि पत्र की जानकारी बोलीदाताओं को एस.एम.एस./ई-मेल के माध्यम से देने में समर्थ करता है।

3. यदि बोलीदाता हैल्प डैस्क से किसी प्रकार का स्पष्टीकरण/मदद चाहते हैं तो उन्हें प्रत्येक निविदा के लिए दिए गए यूनिक निविदा आईडी को नोट कर लेना चाहिए।

बोली तैयार करना :

(1) बोलीदाता को अपनी बोली प्रस्तुत करने से पहले निविदा दस्तावेज़ में प्रकाशित शुद्धिपत्र को ध्यान में रखना चाहिए।

(2) कृपया बोली के भाग के रूप में प्रस्तुत किए जाने वाले अपेक्षित दस्तावेज़ों को समझने के लिए निविदा विज्ञापन तथा निविदा दस्तावेज़ों को सावधानीपूर्वक अच्छी तरह से पढ़ लें। कृपया लिफाफों की संख्या, जिनमें बोली दस्तावेज़ प्रस्तुत किए जाने हैं, प्रत्येक दस्तावेज़ जिन्हें प्रस्तुत किए जाने की आवश्यकता है, का नाम तथा विषयवस्तु सहित दस्तावेज़ों की संख्या नोट कर लें। इसमें किसी भी प्रकार का अंतर होने की स्थिति में बोली अस्वीकृत की जा सकती है।

(3) बोलीदाता को अग्रिम रूप में निविदा दस्तावेज़/अनुसूची में यथानिर्दिष्ट बोली दस्तावेज़ों को प्रस्तुत करने के लिए तैयार करना चाहिए और साधारणतया ये दस्तावेज़ पीडीएफ/ एक्सएलएस/डीडब्ल्यूएफ/जे.पी.जी. फार्मेट में होने चाहिए। बोली दस्तावेजों को श्वेत तथा श्याम विकल्प सहित **100 डी.पी.आई.** के साथ स्कैन करे जो स्कैन किए गए दस्तावेजों के आकर को छोटा करने में मदद करता है।

(4) मानक दस्तावेज़ों के अपलोड करने में लगने वाले अपेक्षित समय एवं प्रयास को कम करने के लिए, जिसे प्रत्येक बोली के भाग के रूप में प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है, ऐसे मानक दस्तावेज़ों (उदाहरणार्थ पैन कार्ड की प्रति, वार्षिक रिपोर्ट, लेखापरीक्षक का प्रमाणपत्र आदि) को अपलोड करने का प्रावधान बोलीदाताओं के लिए उपलब्ध है। ऐसे दस्तावेजों को अपलोड करने के लिए बोलीदाता ''माई स्पेस" या " अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज़" क्षेत्र का प्रयोग कर सकते हैं, जो उनके पास उपलब्ध है। बोली प्रस्तुत करते समय इन दस्तावेज़ों को सीधे " माई स्पेस" पर प्रस्तुत कर सकते हैं और इन्हें बार-बार अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। यह बोली प्रस्तुत करने की प्रक्रिया में लगने वाले समय को अपेक्षित रूप से कम करेगा।

बोली प्रस्तुत करना :

(1) बोलीदाता को बोली प्रस्तुत करने के लिए अग्रिम रूप में साईट पर लॉग-इन करना चाहिए ताकि वे

बोली को समय पर अर्थात् बोली प्रस्तुत करने की निर्धारित तारीख को या उससे पहले अपलोड कर सके। अन्य मुद्दों के कारण होने वाली किसी भी देरी के लिए बोलीदाता जिम्मेदार होंगे।

(2) बोलीदाता को निविदा दस्तावेज़ में इंगित किए गए अनुसार अपेक्षित बोली दस्तावेज़ों को एक-एक कर अपलोड कर डिजिटल हस्ताक्षर करने हैं।

(3) बोलीदाता को निविदा दस्तावेज़ में यथा लागू निविदा शुल्क/जमा धरोहर राशि का भुगतान करने के लिए ''ऑफलाईन" भुगतान विकल्प का चयन करना होगा और उपकरण का विवरण प्रविष्ट करना होगा।

(4) बोलीदाता को निविदा दस्तावेज में विनिर्दिष्ट अनुदेशों के अनुसार धरोहर जमा राशि तैयार करनी चाहिए। मूल दस्तावेज़ डाक/कुरियर/संबंधित अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से बोली प्रस्तुत करने के द्वारा निविदा दस्तावेज में यथा निर्दिष्ट अंतिम तारीख या निविदा दस्तावेज में यथावर्णित तारीख तक भेजा जाना चाहिए। डिमांड ड्राफ्ट/कोई अन्य स्वीकृत माध्यम या व्यक्तिगत रूप से भेजे गए विवरणों का मिलान स्कैन की गई प्रति में उपलब्ध विवरण तथा बोली प्रस्तुत करने के दौरान प्रविष्ट किए गए डाटा से कर लेना चाहिए अन्यथा अपलोड की गई बोली को अस्वीकार कर दिया जाएगा।

(5) बोलीदाताओं से अनुरोध है कि उन्हें यह नोट कर लेना चाहिए कि उन्होंने अनिवार्य रूप से प्रदान किए गए फार्मेट में ही अपनी वित्तीय बोलियों को जमा करना है तथा कोई अन्य फार्मेट स्वीकार्य नहीं है। यदि बोली मूल्य निविदा दस्तावेज़ के साथ मानक बीओक्यू फार्मेट में नहीं दिया गया है, तो उसे डाउनलोड करने और सभी बोलीदाताओं द्वारा भरा जाना चाहिए। बोलीदाताओं को बीओक्यू फाइल डाउनलोड करना अपेक्षित है। इसे खोलें और अपने संबंधित वित्तीय उद्धरण तथा अन्य विवरणियों (जैसे बोलीदाता का नाम) सहित सफेद रंग की (असुरक्षित) सेल्स को पूरा करें। किसी अन्य सेल्स को परिवर्तित न करें। एक बार विवरणियों के पूरा हो जाने पर बोलीदाता को इसे सेव कर लेना चाहिए और फाइल के नाम को परिवर्तित किए बिना इसे ऑनलाइन प्रस्तुत कर दें। यदि बीओक्यू फाइल बोलीदाता द्वारा परिवर्तित की गई पाई जाती है तो बोली अस्वीकार कर दी जाएगी।

(6) सर्वरटाइम (जिसे बोलीदाता के डैश बोर्ड पर प्रदर्शित किया गया है) को भी बोलीदाता द्वारा बोलियों को प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख, बोलियों को खोलना आदि के संदर्भ के लिए मानक समय माना जाएगा। बोलीदाताओं को बोली के प्रस्तुतीकरण के दौरान इस समय का अनुपालन करना चाहिए।

(7) बोलीदाताओं द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले सभी दस्तावेज़ एन्क्रिप्शन तकनीक पी.के. आई. का प्रयोग करते हुए एन्क्रिप्टेड होंगे ताकि डेटा की गोपनीयता सुनिश्चित की जा सके। बोली खोले जाने के समय तक प्रविष्ट किए गए डेटा को अनधिकृत व्यक्तियों द्वारा नहीं देखा जा सकता है। एन्क्रिप्शन प्रौद्योगिकी के 128 बिट सुरक्षित सॉकेट लेयर का प्रयोग करते हुए बोली की गोपनीयता को अनुरक्षित किया गया है। संवेदनशील क्षेत्रों का डेटा स्टोरेज इन्क्रिपशन किया गया है। प्रणाली जनित सिमेट्रिक का उपयोग करते हुए सर्वर पर अपलोड किया गया कोई भी बोली दस्तावेजों सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन के अध्यधीन है। इसके अतिरिक्त यह कुंजी क्रेता/बोली खोलने वाली सार्वजनिक कुंजी का प्रयोग करते हुए एसमैट्रिक एन्क्रिप्शन के अध्यधीन है। समग्र रूप से अपलोड किए गए निविदा दस्तावेज प्राधिकृत बोली खोलने वाले द्वारा निविदा खोलने के बाद ही पठनीय होंगे।

(8) अपलोड किए गए निविदा दस्तावेज़ प्राधिकृत बोली खोलने वाले अधिकारियों द्वारा निविदा को खोले जाने के बाद ही पठनीय होंगे।

(9) बोली का सफल तथा समयबद्ध तरीके से प्रस्तुतीकरण (अर्थात पोर्टल में " फ्रिज बिड सबमिशन" को क्लिक करने के बाद) होने पर पोर्टल सफल बोली प्रस्तुतीकरण संदेश देगा और बोली सं. और अन्य सभी संगत विवरण सहित बोली को प्रस्तुत करने की तारीख एवं समय के साथ बोली सारांश प्रदर्शित हो जाएगी।

(10) बोली सारांश को मुद्रित किया जाना अपेक्षित है और बोली प्रस्तुतीकरण की पावती के रूप में इसे रख लें। इस पावती को बोली खोलने से संबंधित किसी भी बैठक के लिए प्रविष्टि पास के रूप में प्रयोग में लाया जा सकता है।

बोलीदाताओं को सहायता

(i) निविदा दस्तावेज़ और उनमें निहित निबंधन एवं शर्तों से संबंधित किसी भी प्रकार की पूछताछ के लिए निविदा आमंत्रण प्राधिकारी या निविदा में उल्लिखित संगत संपर्क अधिकारी को संबोधित पत्र भेज कर जानकारी प्राप्त की जाए।

(ii) ऑन-लाइन बोली प्रस्तुतीकरण की प्रक्रिया से संबंधित किसी भी प्रकार की पूछताछ या सामान्य रूप से सी.पी.पी. पोर्टल से संबंधित प्रश्न के लिए 24X7 सी.पी.पी. पोर्टल हेल्प डेस्क से की जा सकती है। हेल्प डेस्क के लिए 1800 3070 2232 पर संपर्क की जा सकती है। बोलीदाता +91-7878007972 एवं +91-7878007973 से भी सहायता ले सकते हैं।